फरवरी 2018

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

संरक्षक
गोपाल भार्गव
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

प्रबंध सम्पादक
शमीम उद्दीन

समन्वय
मंगला प्रसाद मिश्रा

परामर्श
डॉ. विनोद यादव

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com
Website : www.panchayika.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में...

विशेष लेख : सबसे आगे मध्यप्रदेश : कैशलेस दुनिया में एक ऊंची छलांग 5

सम्मान : पंच-परमेश्वर पोर्टल को मिला राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस 'गोल्ड आइकॉन' अवार्ड 9

खास खबरें : पंचायत सचिवों के सहयोग से बदलेगी ग्रामीण म.प्र. की तस्वीर 11

पंचायत राज : एक वर्ष में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के पास होंगे अपने भवन 14

हमारी पंचायत : महिलाओं ने किया रूई गाँव को शराबमुक्त 16

स्वच्छ भारत मिशन : दिव्यांग सरपंच ने ओ.डी.एफ. किया गाँव 17

अच्छी पहल : कोदरिया की सरपंच बनीं पैडवूमन 18

पंच-परमेश्वर योजना : अधोसंरचना विकास पर खर्च की जायेगी पिचहत्तर... 19

अच्छी पहल : मऊखेड़ी के घुमन्तू गड़रिया लोहारों को आवास से मिला आधार 20

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना : खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया आशा बाई ने 21

विभागीय : अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिये गए निर्देश 22

पंचायत गजट : चौदहवें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों को अनुदान... 24

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का जनवरी 2018 अंक पढ़ा। इस अंक में मध्यप्रदेश में हो रहे विकास कार्यों को बहुत ही प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मध्यप्रदेश तभी तरक्की कर सकता है, जब गाँव तरक्की करें। मध्यप्रदेश सरकार ग्रामीणों को रोज़गार सम्पन्न बनाने, विशेषकर महिलाओं के लिए गाँव-गाँव में स्व-सहायता समूह बना रही है। इन स्व-सहायता समूहों में महिलायें बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। यह बात ग्रामीण मध्यप्रदेश के सशक्तिकरण की दास्तां बयाँ करती है। महिलाओं के स्वावलंबी होने से देश और प्रदेश के साथ ही हमारा सामाजिक परिवेश भी बदलेगा। यह एक सराहनीय कदम है।

- मिथिलेश शर्मा
खुरई (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए की गयी पहलों पर केन्द्रित मध्यप्रदेश पंचायिका का जनवरी अंक पढ़ा। इस अंक में ग्रामीण मध्यप्रदेश में शासकीय योजनाओं से लाभान्वित सफलता की कहानियों को प्रकाशित किया गया है। इसमें महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) की विस्तृत जानकारी प्रकाशित की गई है। इस जानकारी से ग्रामीणजन लाभ उठा सकते हैं।

- वीरेन्द्र जैन
सागर (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का नवीनतम अंक पढ़ा। अंक में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश पहले स्थान पर है जानकर अच्छा लगा। साथ ही प्रदेश में किसानों के लिये चलाई गई भावांतर भुगतान योजना के जरिये भी ग्रामीणों के विकास का रास्ता खुला है। इस अंक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास पाने वाले लोगों की सफल गाथायें भी प्रकाशित की गई हैं। ये सफल गाथायें अन्य लोगों को इस योजना के तहत अपना पक्का घर पाने के लिये प्रेरित करेंगी।

- सविता ठाकुर
दमोह (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का जनवरी 2018 अंक पढ़ा। यह सफलता की कहानियाँ ग्रामीण विकास के परिणाम बयां कर रही हैं। मध्यप्रदेश में स्व-सहायता समूह ग्रामीणों को कृषि के अतिरिक्त अन्य रोज़गार के लिये भी प्रेरित कर रहे हैं। इन स्व-सहायता समूहों से जुड़कर लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। इस अंक में ऐसे ही कुछ सफल लोगों की कहानियां ली गई हैं। स्व-सहायता समूहों के जरिये ग्रामीणजन भी अब विकास की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। विकास की प्रेरक प्रस्तुति का यह प्रयास अच्छा है। संपादकीय टीम को बधाई।

- ममता परिहार
भोपाल (म.प्र.)

पंचायत व्यवस्था में एक और क्रांतिकारी कदम

प्रिय पाठकगण,

पिछले 14 वर्षों से प्रदेश कई मामलों में आगे रहा है। अब पंच-परमेश्वर पोर्टल और एप के द्वारा पंचायत स्तर के कार्यों की कैशलेस व्यवस्था कर दी गई है। इस तरह के एप का निर्माण कर प्रदेश डिजिटल व्यवस्था में भी देश में आगे हो गया है। इस पंच-परमेश्वर पोर्टल को हाल ही में भारत सरकार के 'गोल्ड आइकॉन' राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवॉर्ड से पुरस्कृत किया गया है।

पंच-परमेश्वर पोर्टल में एक-एक पैसे का हिसाब सबके सामने है। इससे कागजी मुद्रा के लेनदेन में उपयोग होने वाले कागज की भी बचत होगी। एक प्रकार से प्रकृति संवर्धन और उन्नयन तथा भारत को विश्व में अग्रणी बनाने की स्पर्धा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह व्यवस्था प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के स्वप्न को आकार देने की महत्वपूर्ण कड़ी है। डिजिटल इंडिया के तहत समाज और अर्थव्यवस्था को एक डिजिटल स्वरूप देने, विभागों की गति बढ़ाने, शासकीय अमला और आमजन को एक-दूसरे के पास लाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में पंच-परमेश्वर पोर्टल द्वारा बड़ी भूमिका का निर्वहन किया जा सकता है।

भारत गाँवों का देश है। डिजिटल इंडिया का निर्माण तभी संभव है जब देश के गाँव-गाँव तक डिजिटल व्यवस्था पहुंचे। यह व्यवस्था अब इस पोर्टल और एप से संभव हो सकती है।

प्रदेश में पंचायत स्तरीय व्यवस्था अब कैशलेस है। ग्राम पंचायतों में लेनदेन ऑनलाइन किया जा रहा है। पंचायतों के सभी कार्य त्वरित गति से किये जा रहे हैं। कार्य व्यवहार में पूर्ण पारदर्शिता है। अच्छी बात यह है कि इसका उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह ग्रामीण स्तर पर बड़ा परिवर्तन है।

हर्ष का विषय है कि प्रदेश में डिजिटल इंडिया का विस्तार अब ग्राम पंचायत स्तर तक हो गया है। निश्चित ही पंच-परमेश्वर पोर्टल और एप के परिणाम मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रदेश को सबसे आगे ले जाने के स्वप्न को आधार प्रदान करेंगे। यह कार्य इसलिए संभव हो पाया क्योंकि विकास कार्यों में मुख्यमंत्री जी की सतत मॉनीटरिंग रही और विभागीय अमले का सक्रिय समर्पण।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की यह अभिनव पहल कैशलेस लेनदेन की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से लागू करने और प्रदेश को अग्रणी बनाने में क्रांतिकारी कदम है।

भविष्य में यह संवाद निरन्तर रहेगा। पंचायिका में प्रकाशित योजनाओं का लाभ अवश्य लें।

शुभकामनाओं सहित।

(गोपाल भार्गव)
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

पंच-परमेश्वर पोर्टल और एप : डिजिटल इंडिया निर्माण में अभूतपूर्व योगदान

प्रिय पाठको,

भारत सरकार के डिजिटल इंडिया इनिशियेटिव के अंतर्गत पंचायतों के समस्त लेन-देन करने के लिये प्रदेश में पंच-परमेश्वर पोर्टल और एप का निर्माण किया गया है। पंच-परमेश्वर पोर्टल और एप के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक कैशलेस व्यवस्था लागू कर दी गई है। देश में पहली बार तैयार किये गए इस पंच-परमेश्वर पोर्टल को भारत शासन के "गोल्ड आइकॉन" राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवॉर्ड से नवाजा गया है। केन्द्रीय राज्यमंत्री डॉ. जीतेन्द्र सिंह ने हैदराबाद में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कांफ्रेंस में 27 फरवरी को यह पुरस्कार प्रदान किया है।

मध्यप्रदेश, ग्राम पंचायतों में समस्त लेन-देन डिजिटली करने वाला देश का पहला राज्य है। पोर्टल का निर्माण एनआईसी के तकनीकी सहयोग से सूचना प्रौद्योगिकी की नवीन तकनीक का उपयोग कर किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस पंच-परमेश्वर पोर्टल और एप के माध्यम से ग्राम पंचायतों के सभी कार्य और लेन-देन पब्लिक डोमेन पर हैं जिसे कोई भी देख सकता है। इससे सम्पूर्ण व्यवस्था पारदर्शी और तंत्र आधारित हो गई है।

अब ग्राम पंचायतों में कैश एवं चेक के माध्यम से कोई भुगतान नहीं होता केवल ऑनलाइन ई-भुगतान प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। पंच-परमेश्वर मोबाइल एप का उपयोग कर कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत की विस्तृत प्रोफाइल जैसे ग्राम पंचायत भवन का फोटो, जनसंख्या, लोकेशन इत्यादि, निर्माण कार्यों की विस्तृत प्रोफाइल, कार्य की स्थिति, जिओ टैग फोटो, कार्य पर व्यय राशि के बिल एवं बिलों की स्कैन्ड प्रति, जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों की जानकारी, ग्राम सभाओं की जानकारी, पेंशन हितग्राहियों, बीपीएल हितग्राहियों इत्यादि की सूची, पंचायत को प्राप्त राशि का विवरण, वेंडर्स, सप्लायर्स, फर्म्स, स्टाफ एवं अन्य भुगतान प्राप्तकर्ताओं के भुगतान की स्थिति एवं ग्राम पंचायत के बैंक खाते की पास-बुक सहित कई महत्वपूर्ण जानकारियां अपने स्मार्ट फोन पर एक क्लिक पर देख सकता है।

प्रदेश में पंचायत स्तर तक लागू की गई यह व्यवस्था सशक्त समाज के निर्माण और अर्थव्यवस्था को डिजिटल स्वरूप प्रदान करने में एक क्रांतिकारी कदम है।

यह मध्यप्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि प्रदेश में निर्मित पंच-परमेश्वर पोर्टल और एप नये भारत निर्माण, डिजिटल इंडिया के निर्माण में एक प्रभावी भूमिका निभाएगा। पाठक इस अनूठी पहल से अवगत हों और इसका लाभ ले सकें इसीलिए पंच-परमेश्वर पोर्टल और एप की जानकारी इस अंक में प्रकाशित की जा रही है।

आपके मार्गदर्शन के लिए विभागीय स्तम्भ में अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिये गये निर्देश तथा पंचायत गजट में हाल ही में जारी किये गये शासकीय आदेशों का प्रकाशन किया गया है। शेष स्तम्भ यथावत हैं।

आप सभी को डिजिटल इंडिया के निर्माण की कड़ी में सहभागी बनने के लिए बधाई।

कृपया पंचायिका को और अधिक उपयोगी बनाने हेतु अपनी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से अवश्य भेजें।

(शमीम उद्दीन)
संचालक, पंचायत राज

पंच-परमेश्वर पोर्टल एवं मोबाइल एप

सबसे आगे मध्यप्रदेश कैशलेस दुनिया में एक ऊंची छलांग

मध्यप्रदेश ने पारदर्शी लेन-देन के लिए कैशलेस की दुनिया में एक ऊंची छलांग लगाई है। इतनी ऊंची कि भारत के किसी भी प्रदेश की प्रगति, प्रयत्न और आयोजनाओं में सबसे आगे, सबसे तेज। मध्यप्रदेश ने पंच-परमेश्वर मोबाइल एप लांच किया है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। इसे देखने के लिए और समझने के लिए अन्य प्रदेशों के विशेषज्ञ अब मध्यप्रदेश आ रहे हैं और मध्यप्रदेश उनका मार्गदर्शन कर रहा है।

एक जमाना था जब मध्यप्रदेश की गिनती पिछड़े प्रांतों में होती थी, इसे बीमारू प्रांत माना जाता था। ऐसा नहीं था कि प्रदेश में संभावनाएं या संसाधन नहीं थे अथवा प्रतिभाओं की कमी थी, सब था लेकिन उनका समन्वय, उनका नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन की व्यवहारिक जरूरत थी। पिछले चौदह वर्षों में इसी जरूरत को पूरा किया गया। इसका नतीजा है कि मध्यप्रदेश देश के विकसित प्रांतों की श्रेणी में गिना जाने लगा। न केवल कृषि, उद्योग या बिजली के उत्पादन में अपितु तकनीकी के क्षेत्र में भी अब यह हृदय प्रांत ऊंची उड़ानें भर रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रदेश का ग्रामीण विकास मंत्रालय है जिसने पैसों के लेनदेन को पारदर्शी, कदाचार की तमाम आशंकाओं से मुक्त और सबसे बड़ी बात नगदी लेन-देन से मुक्त कर लिया है। पंच-परमेश्वर मोबाइल एप ऐसी तकनीकी है जिससे केवल एक बटन दबाते ही पंचायतों के खाते में पैसा पहुँच जायेगा।

मध्यप्रदेश में गांवों की तरक्की के लिए 'ई-मॉनीटरिंग से जहां श्रम, समय और ऊर्जा की बचत होगी वहीं इस पंच-परमेश्वर पोर्टल और एप से लेनदेन पारदर्शी और कैशलेस होगा। यह मध्यप्रदेश को सबसे आगे ले जाने के संकल्प में एक क्रांतिकारी कदम है।

-शिवराज सिंह
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

इस एप से जो जमीनी और व्यवहारिक लाभ होंगे उनकी अभी चर्चा न करें तो भी तीन फायदे साफ दिख रहे हैं। सबसे बड़ा लाभ बदलती दुनिया के साथ चलने और स्पर्धा करके आगे निकलने के लिए भारत को तमाम तकनीकी में सबसे आगे होना होगा। हम जितने जल्दी आधुनिक प्रणाली में स्वयं को ढाल लें उतना भारत के अग्रणी होने में सहायक होगा। पंच-परमेश्वर मोबाइल एप की लांचिंग और इसके सफलतापूर्वक संचालन ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक तकनीकी में भारत की प्रगति केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है बल्कि वह सुदूर ग्रामीण अंचलों तक जा रही है। जिस तरह कालीन के नीचे कचरा

छिपाकर स्वच्छता का दावा नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह ग्रामीण आबादी को आधुनिक तकनीक से दूर रखकर भारत प्रगति का दावा नहीं कर सकता। इस एप से कम से कम मध्यप्रदेश की एक भी पंचायत ऐसी नहीं बची जो तकनीक से दूर हो। अब यह उम्मीद भी है कि पंच-परमेश्वर मोबाइल एप के बाद गांवों में भी कैशलेस लेन-देन का प्रचलन बढ़ जायेगा।

दूसरा सबसे बड़ा लाभ नगदी लेनदेन बंद होने से कागजी नोटों का प्रचलन लगभग बंद होगा। जो प्रकृति के संरक्षण में एक क्रांतिकारी कदम है। कागज बनाने के लिए कितने पेड़ों को काटना होता है। कागज बनाते वक्त और नोट छापते वक्त कारखानों से निकलने वाली रासायिक गैसों और धुएं से प्रदूषण फैलता है सो अलग। अब अगर प्रदेश में लेन-देन के लिए कैशलेस प्रणाली मजबूत हो रही है तो यह प्रकृति के संरक्षण में एक क्रांतिकारी कदम है। जिस प्रकार अन्य राज्य उत्साह दिखा रहे हैं और मध्यप्रदेश की इस प्रणाली को समझने में रुचि ले रहे हैं उससे प्रदेश की साख बढ़ी सो अलग।

तीसरा और महत्वपूर्ण लाभ है पंचायतों के लेन-देन में आशंकाओं से मुक्ति। प्रश्न यह नहीं है कि यह लेनदेन किस तरह का होता था लेकिन लोगों को बातें बनाने का मौका मिलता था। पंच-सरपंचों के भोलेपन का कुछ लोग फायदा भी उठाते थे या उन्हें बेमतलब चर्चा में लाने का षड्यंत्र भी करते थे। लेकिन अब यह सब पारदर्शी होगा। आइने की तरह एकदम साफ। कितना पैसा आया। किस काम के लिए आया। सब मोबाइल पर होगा। यह प्रणाली इतनी पारदर्शी है कि आय व्यय का विवरण समझने के लिए किसी बड़े लेजर या रजिस्टर की माथा पच्ची, अथवा विशेषज्ञ की तलाश की जरूरत नहीं पड़ेगी सब कुछ मोबाइल पर होगा और आंकड़ों के रूप में होगा। इतना संक्षिप्त होगा कि जिसे आसानी से समझा जा सके।

'पंच-परमेश्वर मोबाइल एप' को लांच करने से पहले बाकायदा प्रदेश के सभी सरपंचों को इसका प्रशिक्षण दिया गया। सारी तैयारियों के बाद यह एप लांच किया गया। एप के बारे में विवरण न केवल वेबसाइट पर डाला गया बल्कि विशेषज्ञों ने बताया कि यह अनिवार्य है और भारत शासन के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के तहत, मध्यप्रदेश की 22,816 पंचायतों में होने वाले सभी कार्यों एवं वित्तीय लेन-देन को ऑनलाइन, सरल, पेपर-लेस, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से है। पंच परमेश्वर मोबाइल एप का निर्माण पंचायत एवं ग्रामीण विकास संचालनालय के संचालक श्री शमीम उद्दीन के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ तकनीक निदेशक श्री सुनील जैन और उनकी

ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली को सुगम, पारदर्शी विश्वसनीय तथा उत्तरदायी बनाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने यह पंच परमेश्वर पोर्टल तथा एप लागू किया है। यह एक अभिनव पहल है। यह भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत कैशलेस लेन-देन की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

- गोपाल भार्गव
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

टीम द्वारा किया गया है।

पंच-परमेश्वर मोबाइल एप का उपयोग कर कोई भी व्यक्ति अपने ग्राम पंचायत की विस्तृत प्रोफाइल (जैसे ग्राम पंचायत भवन का फोटो, जनसंख्या, लोकेशन इत्यादि), निर्माण कार्यों की विस्तृत प्रोफाइल (कार्य की स्थिति, जिओ टेग फोटो, कार्य पर व्यय राशि के बिल एवं बिलों की स्कैंड प्रति), जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों की जानकारी, ग्राम सभाओं की जानकारी, हितग्राहियों (पेंशन, बीपीएल इत्यादि) की सूची, पंचायत को प्राप्त राशि का विवरण, वेंडर्स, सप्लायर्स, फर्म स्टाफ एवं अन्य भुगतान प्राप्तकर्ताओं के भुगतान की स्थिति एवं ग्राम पंचायतों के बैंक खाते की पास बुक सहित कई महत्वपूर्ण जानकारियां अपने स्मार्ट फोन से एक क्लिक पर प्राप्त कर सकता है।

वर्तमान में प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में केश एवं चेक के माध्यम से लेन देन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर केवल ऑनलाइन ई-भुगतान प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। ई-भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए पंच परमेश्वर पोर्टल (पंचायत दर्पण) के सर्वर को आठ राष्ट्रीयकृत बैंकों के

पंच-परमेश्वर मोबाइल एप का उपयोग कर कोई भी व्यक्ति अपनी ग्राम पंचायत की विस्तृत प्रोफाइल जैसे ग्राम पंचायत भवन का फोटो, जनसंख्या, लोकेशन इत्यादि, निर्माण कार्यों की विस्तृत प्रोफाइल कार्य की स्थिति, जिओ टेग फोटो, कार्य पर व्यय राशि के बिल एवं बिलों की स्कैंड प्रति, जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों की जानकारी, ग्राम सभाओं की जानकारी, हितग्राहियों-पेंशन, बीपीएल इत्यादि की सूची, पंचायत को प्राप्त राशि का विवरण, वेंडर्स, सप्लायर्स, फर्मस् स्टाफ एवं अन्य भुगतान प्राप्तकर्ताओं के भुगतान की स्थिति तथा ग्राम पंचायतों के बैंक खाते की पास बुक सहित कई महत्वपूर्ण जानकारियां अपने स्मार्ट फोन से एक क्लिक पर प्राप्त कर सकता है।

कोर बैंकिंग सिस्टम से इन्टीग्रेट किया गया है।

सभी लेन-देन को ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों द्वारा 10 लाख से अधिक वेंडर्स, सप्लायर्स, फर्मस् स्टाफ एवं अन्य भुगतान प्राप्तकर्ताओं का उनके बैंक खातों में एकसाथ पोर्टल पर पंजीयन किया गया है। पंच-परमेश्वर मोबाइल एप ने जनता की अपनी पंचायत के बैंक खाते में उपलब्ध राशि, लेन-देन, विकास कार्यों पर किए गए व्यय की जानकारी अपने मोबाइल पर उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी पंचायतों के कार्यों में सक्रिय सहभागिता भी सुनिश्चित करायी है।

पंचायतों में होने वाले सभी कार्यों एवं वित्तीय लेनदेन के ऑनलाइन, सरल, पेपर-लेस, कैशलेस, पारदर्शी होने के बाद प्रदेश की पंचायतें सही मायने में डिजिटल पंचायतों के रूप में कार्य कर रही हैं एवं उनके कार्यों को विश्वसनीयता एवं सम्मान के साथ देखा जा रहा है। मोबाइल एप एवं ई-भुगतान प्रणाली को लागू करने वाला मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है जिसका अनुसरण आज दूसरे राज्यों द्वारा भी किया जा रहा है। अब ग्राम पंचायतों के सभी भुगतान ई-भुगतान के रूप में पूरी पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता के साथ होते हैं।

पंचायतों की सशक्तता ही सही मायनों में देश की सशक्तता है और इसी उद्देश्य को पूरा कर रहा है मध्यप्रदेश सरकार का यह अभिनव प्रयास।

पंच परमेश्वर मोबाइल एप को डाउनलोड करने के लिये गूगल प्ले स्टोर पर जाकर पंच-परमेश्वर सर्च करें।

इस 'पंच-परमेश्वर पोर्टल' और 'पंच परमेश्वर मोबाइल एप' की विशेषता यह है कि विभाग के विशेषज्ञ इनकी समय-समय पर समीक्षा भी करते हैं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की कल्पना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव का मार्गदर्शन और अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास का क्रियान्वयन तथा निदेशक पंचायतराज संचालनालय की सक्रियता से तैयार किए गए इस नए एप की लांचिंग वर्ष 2017 में नवंबर माह में हुई।

एप का शुभारंभ श्री गोपाल भार्गव ने मोबाइल का बटन दबाकर किया। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग भी उपस्थित थे।

● **रमेश शर्मा**
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

पंच-परमेश्वर पोर्टल को मिला राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस गोल्ड आइकॉन अवार्ड

ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन-देन में देश का पहला राज्य बना मध्यप्रदेश

प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कार्य-प्रणाली को सुगम, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा उत्तरदायी बनाने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से पंच-परमेश्वर पोर्टल बनाकर एक अभिनव पहल की है। भारत सरकार के डिजिटल इण्डिया अभियान के अंतर्गत ग्राम के अंतिम छोर तक डिजिटल एवं कैशलेस लेन-देन की प्रकिया को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये यह पहल मील का पत्थर साबित होगी। पंच-परमेश्वर पोर्टल का उपयोग करते हुए विभाग ने ग्राम पंचायतों के समस्त कार्य व्यवहार को पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित किया है। ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली समस्त राशियों तथा उनके व्यय का एक-एक बिल वार विवरण पंच-परमेश्वर पोर्टल पर उपलब्ध रहता है। ग्राम पंचायतों की भुगतान व्यवस्था को पूर्णतः कैशलेस किया गया है। इसके लिये प्रदेश एनआईसी के माध्यम से ग्राम पंचायतों कें बैंक खातों से डिजिटल लेन-देन प्रारंभ हुआ है।

मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के पंच-परमेश्वर पोर्टल को भारत शासन का 'गोल्ड आइकॉन' राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड 27 फरवरी को हैदराबाद में अयोजित नेशनल ई-गवर्नेंस कांफ्रेंस में प्रदान किया गया। केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ. जीतेन्द्र सिंह ने हैदराबाद में आयोजित 21वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कांफ्रेंस में यह पुरस्कार प्रदान किया। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव श्री राधेश्याम जुलानिया, संचालक, पंचायत राज संचालनालय श्री शमीम उद्दीन वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी श्री सुनील जैन ने यह पुरस्कार

पंच-परमेश्वर मोबाइल एप एक झलक

- **मोबाइल एप एवं ई-भुगतान प्रणाली को लागू करने वाला मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है।**
- **मध्यप्रदेश की 22,816 पंचायतों में होने वाले सभी कार्यों एवं वित्तीय लेन-देन को ऑनलाइन, सरल, पेपर-लेस, कैशलेस, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से, पंच-परमेश्वर मोबाइल एप का निर्माण किया गया है।**
- **पंचायतों में होने वाले सभी कार्यों एवं वित्तीय लेन-देन को ऑनलाइन, सरल, पेपर-लेस, कैशलेस, पारदर्शी होने के बाद प्रदेश की पंचायतें बन गयी हैं डिजिटल पंचायतें।**
- **पंच-परमेश्वर मोबाइल एप को डाउनलोड करने के लिये गूगल प्ले स्टोर पर जाकर पंच परमेश्वर सर्च करें या नीचे दिए गए लिंक का प्रयोग करें। https://play.google.com/store/apps/details?id=com.in.bhopal.nic.panchparmeshwar&hl=en**
- **पंच-परमेश्वर मोबाइल एप का उपयोग कर कोई भी व्यक्ति अपने ग्राम पंचायत की विस्तृत जानकारी, निर्माण कार्यों की जानकारी, कार्य की स्थिति, जिओ टैग्ड फोटो, कार्य पर व्यय राशि के बिल का विवरण प्राप्त कर सकते हैं।**
- **इस एप से जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों की जानकारी, ग्राम सभाओं की जानकारी, हितग्राहियों (पेंशन, बीपीएल इत्यादि) की सूची, पंचायत को प्राप्त राशि का विवरण, वेंडर्स, सप्लायर्स, फर्म्स, स्टाफ एवं अन्य भुगतान प्राप्तकर्ताओं के भुगतान की स्थिति एवं ग्राम पंचायत के बैंक खाते की पास बुक सहित कई महत्वपूर्ण जानकारियां अपने स्मार्ट फोन से एक क्लिक पर प्राप्त किया जा सकता है।**
- **प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन ई-भुगतान प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।**
- **पंच-परमेश्वर मोबाइल एप से आमजन की पंचायत के कार्यों में सक्रियता बढ़ी है।**

प्राप्त किया। केन्द्रीय मंत्री डॉ. श्री जीतेन्द्र सिंह ने प्रदेश के इस अभिनव प्रयास की सराहना करते हुए इसे पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक अनुकरणीय पहल बताया है।

प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कार्य-प्रणाली को सुगम, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा उत्तरदायी बनाने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से पंच-परमेश्वर पोर्टल बनाकर एक अभिनव पहल की है। भारत सरकार के डिजिटल इण्डिया अभियान के अंतर्गत ग्राम के अंतिम छोर तक डिजिटल एवं कैशलेस लेन-देन की प्रकिया को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये यह पहल मील का पत्थर साबित होगी। पंच-परमेश्वर पोर्टल का उपयोग करते हुए विभाग ने ग्राम पंचायतों के समस्त कार्य व्यवहार को पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित किया है। ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली समस्त राशियों तथा उनके व्यय का एक-एक बिल वार विवरण पंच-परमेश्वर पोर्टल पर उपलब्ध रहता है। ग्राम पंचायतों की भुगतान व्यवस्था को पूर्णतः कैशलेस किया गया है। इसके लिये प्रदेश एनआईसी के माध्यम से ग्राम पंचायतों के बैंक खातों से डिजिटल लेन-देन प्रारंभ हुआ है।

यह व्यवस्था अपनाने वाला मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है। इस भुगतान व्यवस्था में ग्राम पंचायतें उनके द्वारा किये जाने वाले व्यय को पंच-परमेश्वर पोर्टल पर दर्ज करती हैं। तत्पश्चात ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव के मोबाइल नंबर पर आने वाले वन टाइम पासवर्ड से ई-भुगतान आदेश को लॉक कर भुगतान हेतु बैंक को प्रेषित करती है। यह ई-भुगतान आदेश एनआईसी के सर्वर के द्वारा बैंक के सर्वर पर भुगतान हेतु प्रेषित किया जाता है। इस हेतु एनआईसी एवं 8 राष्ट्रीयकृत बैंकों के सर्वर को इंटीग्रेट किया गया है। बैंकों द्वारा भुगतान किये जाने के साथ ही भुगतान का विवरण भी पोर्टल पर उपलब्ध हो जाता है।

इस भुगतान व्यवस्था से ग्राम पंचायतों के समस्त वित्तीय अभिलेख स्वतः ही ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। उन्हें पृथक से कैशबुक, लेजर आदि अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार प्रदेश की ग्राम पंचायतें पूर्णतः पेपरलेस एवं कैशलेस पंचायतों के रूप में कार्य कर रही हैं। ग्राम पंचायतों के द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्यों की वास्तविक स्थिति, उनका स्तर तथा फोटोग्राफ जीपीएस लोकेशन के साथ पोर्टल एवं एप पर उपलब्ध होते हैं। सार रूप में पंच-परमेश्वर पोर्टल ग्राम पंचायत के ई-ऑफिस के रूप में उनके लिये उपयोगी सिद्ध हो रहा है। आज मध्यप्रदेश उन राज्यों में शामिल है, जहाँ मंत्रालय से लेकर ग्राम पंचायत तक कार्य प्रणाली को डिजिटल रूप में परिवर्तित किया गया है।

● **अनिल वशिष्ठ**
(सहायक सूचना अधिकारी, जनसंपर्क)

पंचायत सचिवों के सहयोग से बदलेगी ग्रामीण मध्यप्रदेश की तस्वीर

मध्यप्रदेश में पंचायत सचिवों को मिलेगा 5200-20200+2400 ग्रेड-पे वेतनमान

विगत 4 फरवरी को भोपाल में पंचायत सचिवों के सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने संवाद किया। पंचायत सचिवों के वेतनमान के साथ विसंगति को दूर करने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत सचिवों के हित में कई घोषणाएं भी कीं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन सचिवों ने एक अप्रैल 2018 को दस साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें वेतनमान 5200 - 20200 + 2400 ग्रेड-पे दिया जायेगा। श्री चौहान ने पंचायत सचिवों को ग्रामीण मध्यप्रदेश की नींव बताते हुए कहा है कि अब उन्हें नियुक्ति दिनांक से ही 10 हजार रुपये दिये जायेंगे। इसके दो साल बाद उन्हें 5200-20200+1900 ग्रेड-पे दिया जायेगा।

पंचायत सचिव राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं। पंचायत सचिवों के सहयोग से सरकार ग्रामीण मध्यप्रदेश की तस्वीर बदलेगी। गाँवों में भी अब वे सभी सुविधाएँ मिलेंगी, जो शहरों में उपलब्ध हैं। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पंचायत सचिवों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही

श्री चौहान ने कहा कि जो बहनें पंचायत सचिव के पद कार्य कर रही हैं, उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जायेगा। सचिव पति को भी 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों का सम्मान करना सरकार का दायित्व है। सचिव सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं। उन्होंने पंचायत सचिवों के लिये अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में कहा कि अब एक अप्रैल 2008 से अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। बीमार पड़ने पर 15 दिन का चिकित्सीय अवकाश दिया जायेगा।

ग्रामीण विकास की योजनाओं में मध्यप्रदेश का देश में अच्छा प्रदर्शन सचिवों की मेहनत के कारण है। एक दशक पहले सड़कें, पेयजल व्यवस्था, आवासीय सुविधाएँ, गाँवों की आंतरिक सड़कों की स्थिति खराब थी। आज ग्रामीण मध्यप्रदेश

विकास का नया दौर देख रहा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार बनी थी, तब पंचायत सचिवों को 500 रुपये मिलते थे। वर्ष 2008 में एक हजार दो सौ रुपये बढ़ाये गये और वर्ष 2008 में ही पंचायत सचिवों को नियमित वेतनमान देना शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा पंचायत सचिवों का साथ दिया है।

श्री चौहान ने कहा कि सरकार गरीबों के कल्याण का काम कर रही है। गरीबों को आवास देने के लिये उन्हें जमीन का मालिक बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे है। ग्रामीण आवासों के निर्माण में धनराशि कम पड़ने पर मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना से भी मदद दी जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और पंचायत सचिवों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से ग्रामीण विकास की योजनाओं का और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जायेगा। स्वच्छ भारत अभियान में भी मध्यप्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। मनरेगा में 3500 करोड़ रुपये और पंच परमेश्वर योजना में आठ हजार करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। उन्होंने कहा

- **पंचायत सचिवों को नियुक्ति दिनांक से ही दिया जायेगा 10 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन।**
- **पंचायत सचिवों को 5200-20200+1900 ग्रेड-पे दिया जायेगा।**
- **दस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद पंचायत सचिवों को 5200-20200+2400 ग्रेड-पे दिया जायेगा।**
- **महिला पंचायत सचिवों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जायेगा।**
- **पंचायत सचिवों के लिए भी अनुकंपा नियम लागू होगा।**

कि पंचायत सचिवों के सहयोग से राज्य संपूर्ण विकास के सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण मध्यप्रदेश की तस्वीर तेजी से बदल रही है। उन्होंने पंचायत सचिवों से आग्रह किया कि लोगों की सेवा करें और ग्रामीण मध्यप्रदेश में विकास के नये कीर्तिमान स्थापित करने में सहयोग दें।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि ग्रामीण विकास की योजनाओं में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं से पारदर्शिता आई है।

उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों के हित में की गई घोषणाओं के बाद पंचायत सचिवों को उपयुक्त सम्मान और न्याय मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अधिकार मिलने के साथ कर्तव्यों को पूरा करना भी पंचायत सचिवों का नैतिक दायित्व है। श्री भार्गव ने कहा कि मध्यप्रदेश जिस प्रकार अब तक ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आगे रहा है, भविष्य में भी निरंतर प्रगति करता रहेगा। इसके लिये प्रयासों को और तेज करने की आवश्यकता है।

पंचायतराज व्यवस्था का राष्ट्रीय सम्मेलन

चौदहवें वित्त आयोग में प्रदेश की पंचायतों को मिलेगा

बारह हजार दो सौ करोड़ रुपये का अनुदान

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज सम्मेलन में केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि पंचायतों को मिलने वाले मूल अनुदान को युक्ति-संगत बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने से छोटी पंचायतों को अधोसंरचना निर्माण के लिये अधिक राशि प्राप्त हो सकेगी।

राष्ट्रीय पंचायती राज सम्मेलन की अध्यक्षता केन्द्रीय पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने की।

राष्ट्रीय सम्मेलन में बताया गया कि भारत शासन द्वारा 15वाँ वित्त आयोग गठित किया जा चुका है। इस आयोग की अनुशंसाएँ वर्ष 2020 से क्रियान्वित की जायेंगी।

सम्मेलन में जानकारी दी गयी कि 14वें वित्त आयोग में मध्यप्रदेश की पंचायतों को मूल अनुदान के रूप में 12 हजार 200 करोड़ रुपये तथा परफार्मेंस ग्रांट मद में 1355 करोड़ रुपये की राशि प्रावधानित रही है। यह राशि सीधी ग्राम पंचायतों द्वारा व्यय की जाती है।

इस वर्ष पंचायत एवं ग्रामीण विकास के 2,315 कार्य पूर्ण

राज्य शासन की स्वीकृति के उपरांत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 145 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से 2315 कार्य 25 जनवरी, 2018 तक पूर्ण कर लिये गये हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 149 लाख रुपये की लागत से एक जिला पंचायत भवन तथा 106 लाख रुपये की लागत से भवन की बाउण्ड्री-वॉल और रंगाई-पुताई का कार्य कराया गया है।

इसी प्रकार, प्रदेश में 11 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से 14 जनपद पंचायत भवनों का निर्माण करवाया गया है, 71 ग्राम पंचायत भवन 14 करोड़ 11 लाख रुपये लागत से, 79 करोड़ 19 लाख रुपये की लागत से 629 सामुदायिक भवन, नौ लाख 57 हजार रुपये लागत से नल-जल योजना, पांच करोड़ 66 लाख रुपये की लागत से सीमेंट-कांक्रीट रोड, दो करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से 104 चौपाल का निर्माण, 19 करोड़ 7 लाख रुपये की लागत से 1437 आँगनवाड़ी भवन, दो करोड़ रुपये की लागत से 4 हाट-बाजार, पांच करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से 35 घाट निर्माण, तीन करोड़ 4 लाख रुपये की लागत से 14 शांतिधाम और 76 लाख रुपये की लागत से 3 खेल स्टेडियमों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

एक वर्ष में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के पास होंगे अपने भवन

पंचायत राज व्यवस्था के सुचारू कार्य संचालन के लिए आवश्यक है पंचायतों का सशक्तिकरण किया जाये। मध्यप्रदेश में पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए प्रभावी कदम उठाये गये हैं। पंचायत के अधोसंरचना विकास के लिए राशि आवंटित कर दी गयी है। प्रदेश की भवन विहीन पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण के लिए 151 करोड़ 46 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। आगामी एक वर्ष में प्रदेश की शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों के पास स्वयं का भवन उपलब्ध हो जाएगा। इन भवनों का नाम "भारत निर्माण केन्द्र" होगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव द्वारा शेष एक हजार 46 ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण के लिये 151 करोड़ 46 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

मंत्री श्री भार्गव ने बताया कि पंचायतराज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम इन संस्थाओं के पास स्वयं का भवन होना चाहिए, जिससे पंचायत अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुचारू ढंग से कर सकेंगी। श्री भार्गव ने बताया कि विभाग द्वारा गत वर्ष कराये गये सर्वे के अनुसार प्रदेश में कुल 5 हजार 166 भवनविहीन ग्राम पंचायतें थीं। इनमें से पूर्व में दी गई स्वीकृति के आधार पर 1189 पंचायत भवन पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष 2 हजार 931 भवन वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। शेष 1046 पंचायत भवनों के लिये प्रत्येक को 14 लाख 48 हजार रुपये के मान से 151 करोड़ 46 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। पंचायत भवन बनाने में निर्माण एजेंसी वही ग्राम पंचायत होगी जहां का पंचायत भवन निर्मित किया जा रहा है। भवन का निर्माण तकनीकी मापदण्डों और अवयवों के अनुसार होगा।

कार्य की गुणवत्ता के लिए तकनीक पर्यवेक्षण और मदद के लिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उपयंत्री, सहायक यंत्री तथा कार्यपालन यंत्री मदद करेंगे। भवन निर्माण की लागत का 40 प्रतिशत अर्थात् प्रति भवन राशि 5.792 लाख रुपये मनरेगा के अभिसरण से दी जायेगी। लागत की 60 प्रतिशत अर्थात् प्रति भवन राशि रुपये 8.688 लाख पंचायत भवन निर्माण मद, विभागीय मद से व्यय की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों की जानकारी और मांग सर्वे उपरांत जिला पंचायतों द्वारा सत्यापित कर संचालनालय पंचायत राज को भेजी गई है। उसी आधार पर पंचायत भवन निर्माण कार्य

● प्रस्तुति : नवीन शर्मा

- **प्रदेश की सभी पंचायतें होंगी अपने भवन से समृद्ध।**
- **पंचायत भवन का नाम होगा भारत निर्माण केन्द्र।**
- **प्रदेश में एक हजार 46 पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 151 करोड़ 46 लाख रुपये की राशि स्वीकृत।**
- **प्रत्येक पंचायत भवन के लिए 14 लाख 48 हजार रुपये दिये जायेंगे।**
- **भवन विहीन ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण से संबंधित राशि का आवंटन तथा कार्य का शासकीय आदेश पंचायिका के इसी अंक में 'पंचायत गजट' स्तंभ में प्रकाशित है।**

चौदहवां वित्त आयोग

ग्रामों के सशक्तीकरण के लिये

ग्राम पंचायतों का सशक्तीकरण

देश में जो वित्त आयोग गठित किये जाते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य राज्यों को वित्तीय साधन जुटाना है। यद्यपि हमारे देश में पंचायतों का महत्व सनातन काल से है और अब त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था भी लागू हो चुकी है, लेकिन मुख्य समस्या प्रजातंत्र की मूल इकाई ग्राम पंचायतों को सशक्त करने की थी। इनके सशक्तीकरण के लिये इनकी माली हालत सुधारना जरूरी है। इसलिये केन्द्र सरकार ने पहली बार यह व्यवस्था की है कि पंचायतों के पास सीधे पैसा पहुंचे। इसी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिये राज्य सरकार ने भी विस्तृत निर्देश जारी कर दिये हैं। इनके तहत ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाले निष्पादन अनुदान यानी परफार्मेंस ग्रांट के वितरण के लिये राज्य सरकार ने एक स्पष्ट नीति निर्धारित कर दी है। अब ग्राम पंचायतों को 90 प्रतिशत मूल अनुदान और 10 प्रतिशत निष्पादन अनुदान दिया जायेगा। हमारे प्रदेश में 22,816 ग्राम पंचायतें हैं। इनके लिये मूल अनुदान का वितरण किया जा चुका है। अब निष्पादन अनुदान का वितरण किया जाना है जो ग्राम पंचायतों के लिये निर्धारित मानकों के आधार पर होगा। वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिये यह धनराशि क्रमशः 300.83 करोड़, 341.63 करोड़ और 447.34 करोड़ है।

ग्राम पंचायतों को इस मद की धनराशि के वितरण के लिये जो मानक बनाये गये हैं, उनमें कुछ बातों का ध्यान विशेष रूप से रखा गया है। इनमें प्रमुख हैं ग्राम पंचायतों द्वारा अपने स्वयं के आंतरिक साधनों से राजस्व में वृद्धि जो पिछले साल की तुलना में अधिक होना चाहिये। ग्राम पंचायत विकास योजना को भलीभांति पूरा किया जाना चाहिये। इससे ग्राम पंचायत की कार्यक्षमता और परिणामोन्मुख कार्यशैली सुनिश्चित हो

जायेगी। चूंकि अधिकांश पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण हो चुका है। अतः इसे पोर्टल पर भी अपलोड करना जरूरी होगा, ताकि इसकी जानकारी सार्वजनिक हो सके। निष्पादन अनुदान के लिये दावा किये जाने वाले वर्ष के 50 वर्ष का क्षेत्रवार चौदहवें वित्त आयोग व्यय की प्रविष्टि भी जरूरी होगी। केवल वे ही ग्राम पंचायतें निष्पादन अनुदान पा सकेंगी जो इन उपरोक्त चारों शर्तों का पालन करेंगी।

इन पंचायतों का मूल्यांकन करने के लिये कुछ विषय निर्धारित करके उनके लिये अंक भी निर्धारित किये गये हैं। इन विषयों में प्रमुख हैं स्वयं के स्रोत से राजस्व वृद्धि, शिशुओं के पूर्ण टीकाकरण आदि। ग्राम पंचायतों का खुले में शौचमुक्त होना एक अनिवार्य शर्त होगी। इन मानकों पर मूल्यांकन करने के बाद जिन पंचायतों को 100 अंकों में से 49, 50 से 60, 61 से 70 और 71 या अधिक अंक मिलेंगे, उन्हें क्रमशः 50 प्रतिशत, 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और शत-प्रतिशत आवंटन किया जायेगा।

ग्राम पंचायतें निर्धारित प्रपत्र में यह दावे जनपद पंचायतों के समक्ष 30 जून तक प्रस्तुत करेंगी। जनपद पंचायतें इन्हें 15 जुलाई तक जिला पंचायतों को भेजेंगी जहां से परीक्षण के बाद इन्हें 31 जुलाई तक पंचायत संचालनालय को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

इस समयबद्ध कार्यक्रम और नीति-निर्धारण का मुख्य उद्देश्य प्रजातंत्र की मूल इकाई ग्राम पंचायत को हर दृष्टि से जिसमें वित्तीय संसाधन पूर्ति तथा परिणामोंन्मुख कार्य प्रणाली शामिल है, सुदृढ़ करना है। मध्यप्रदेश में पंचायत राज की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी इसमें व्यक्तिगत रुचि लेते हैं। अब केन्द्र सरकार द्वारा जो वित्त पोषण किया गया है, उससे पंचायती राज की कार्य प्रणाली निश्चय ही और भी सुदृढ़ हो जायेगी। सम्पूर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया गया है। अब ग्राम पंचायतों को लेखा-परीक्षा, वार्षिक लेखा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। सरकार का उद्देश्य जहां समयबद्ध कार्यक्रम की कार्यान्विति हेतु पर्याप्त धनराशि जुटाना है वहीं उसके व्यय में जवाबदारी और शुचिता सुनिश्चित करना भी है।

● **घनश्याम सक्सेना**
(लेखक वरिष्ठ स्तम्भकार हैं)

सफलता की कहानी :
बदलाव

ग्राम पंचायत के सहयोग से

महिलाओं ने किया रूई गाँव को शराब-मुक्त

बड़वानी जिले के रूई गाँव की महिलाओं ने ग्राम पंचायत के सहयोग से अपने गाँव को शराब मुक्त किया है। एक वर्ष पूर्व रूई गाँव शराब में डूबा हुआ था, अधिकतर लोग शराब पीकर मारपीट करते थे। गाँव में आये दिन विवाद होता था। शराब की लत के आदी पुरुष शराब पीने के लिए घर का अनाज तक बेच देते थे, तब गाँव की महिलाएँ एकजुट होकर उठ खड़ी हुईं और ग्राम पंचायत को प्रस्ताव दिया। सरपंच ने तुरंत कार्यवाही की। शराब बनाने और शराब पीने वाले दोनों पर जुर्माना लगाया।

पंचायत की कार्यवाही और महिलाओं के एक वर्ष तक किये गये निरंतर प्रयास से आज रूई गाँव शराब मुक्त हो गया है। गाँव में अब कोई आपसी झगड़ा नहीं होता है। पहले रूई गाँव में ज्यादातर पुरुष शराब पीते थे। घर में मारपीट करते थे। गाँव में आपसी झगड़े बढ़ गए थे।

शराब की वजह से परिवार टूट रहे थे। पुरुष अपनी सारी कमाई शराब पीने में खर्च करते थे। यहाँ तक कि वे घर का अनाज तक बेच देते थे। महिलाएं रोज-रोज के झगड़े और आर्थिक अभाव से परेशान थीं। गाँव में सैकड़ों शराबी थे और 20 से ज्यादा स्थानों पर अवैध शराब का कारोबार चलता था।

कैसे किया गाँव को शराब मुक्त

गाँव की महिलाओं ने शाम होते ही शुरू होने वाले रोज-रोज के झगड़े से तंग आकर आपस में सलाह-मशविरा किया। महिलाओं ने मिलकर ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव रखा। सरपंच ने प्रस्ताव पास किया कि गाँव में जो भी शराब पीयेगा अथवा शराब बेचेगा उसे जुर्माना देना होगा। महिलाओं और उनके साथ ग्रामीणों ने मिलकर शराब पीने वाले पुरुषों और शराब बनाने वालों पर निगरानी की। पंचायत ने सख्ती बरती। निरन्तर प्रयासों से एक साल में गाँव शराब मुक्त हो गया।

परिवारों की कहानी उन्हीं की जुबानी

रूई गांव की श्रीमती शर्मिला कमल सिंह चौहान ने बताया कि पहले उनके पति सुबह शाम नशे में रहते थे। घर में बहुत विवाद होता था। वे काम पर भी नहीं जाते थे, इससे परिवार बहुत दुखी और परेशान था। गांव में शराबबंदी होने के बाद वे शराब नहीं पीते, रोज काम पर जाते हैं और 300 से 400 रुपये कमा कर लाते हैं। हमने अपने बेटे वीरेंद्र सिंह चौहान का इंदौर कॉलेज में एडमिशन कराया है। एक बेटी को स्कूल में पढ़ा रहे हैं। शराब बंदी के कारण हमारा परिवार खुशहाल हो गया है।

कहाँ : जिला बड़वानी, गाँव : रूई
समस्या : गाँव के ज्यादातर पुरुष शराब पीते थे।
समाधान : गाँव शराब मुक्त हो गया।

पहले शराब की लत में उलझे श्री गणपत सिंह चौहान ने बताया कि शराब पीने के कारण हमारा 25 लोगों का संयुक्त परिवार परेशान रहता था। नशे में कोई विवाद खड़ा न कर दूं इस डर से किसी भी पारिवारिक व सामाजिक कार्यक्रम में मुझे नहीं बुलाया जाता था। एक साल पहले जब गांव की महिलाओं ने शराब बंदी का बीड़ा उठाया तो मैंने भी पक्का मन बनाया कि अब शराब नहीं पिऊंगा और आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया। महिलाओं के शराबबंदी का एक और उदाहरण है श्री मांगीलाल चौहान का। मांगीलाल पहले शराब पीने के साथ शराब बेचने का भी काम करते थे। इन्हें कई बार पुलिस ने पकड़ कर केस भी बनाया था। जब गांव की महिलाओं ने शराबबंदी के लिए आवाज उठाई तो शुरुआत में उन्हें बुरा लगा, लेकिन फिर परिवार के लोगों और ग्रामीणों ने समझाया तो वे मान गए। शराब बेचना और पीना दोनों ही बंद कर दिया है। अब किराने की दुकान खोल ली और अपने परिवार के साथ खुशहाल है। महिलाओं के एक वर्ष के प्रयास से रूई गाँव पूर्णतः शराब मुक्त हो गया है। यहाँ न अब शराब बनती है, न अवैध शराब का कारोबार चलता है और न ही कोई शराब पीता है। शराब पीकर होने वाले झगड़े के कारण घरों में शाम को छाने वाली मायूसी दूर हो गई है। लोग खुशहाल हैं और अपने विकास को लेकर सजग हैं।

अपराधों में हुई कमी

रूई गाँव के थाना प्रभारी श्री संतोष सिसोदिया ने बताया कि रूई गांव में शराब के कारण आये दिन विवाद की स्थिति बनती थी, लेकिन अब गाँव में शराब के कारण किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होता है। पुलिस भी लगातार जन जागरुकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रही है।

● **प्रस्तुति : रीमा राय**

दिव्यांग सरपंच ने ओ.डी.एफ. किया गाँव

यदि हौसले बुलंद हों तो कुछ भी असंभव नहीं है। दृढ़ इच्छाशक्ति और सम्पूर्ण समर्पण के साथ यह साबित किया है ग्राम पंचायत रिछौड़ा के दिव्यांग सरपंच श्री सुशील पालीवाल ने। खुले में शौचमुक्त होने पर आयोजित गौरव यात्रा के समय संतुष्टि के भाव उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे।

होशंगाबाद जिले के जनपद पिपरिया में शामिल ग्राम पंचायत रिछौड़ा के सरपंच श्री सुशील पालीवाल ने सरपंच बनते ही गाँव को आदर्श ग्राम बनाने का सपना देखा था। जब देश को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत का संकल्प दिया तो श्री पालीवाल ने तय कर लिया कि गाँव को हर हाल में शौच मुक्त करेंगे। जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर बसे मात्र 1700 आबादी वाले गाँव को पूर्ण शौच मुक्त करने के लिए कई चुनौतियाँ थीं । गाँव में ज्यादातर लोग खेतीहर मजदूर हैं अथवा छोटी-मोटी मजदूरी करके अपना गुजर-बसर करते हैं। यहाँ पानी की कमी एक बड़ा संकट है।

अस्वच्छता के चलते अन्य समस्याओं ने भी जन्म लिया। सरपंच श्री पालीवाल ने ग्रामसभा में लोगों को समझाया कि 80 प्रतिशत बीमारियों का कारण अस्वच्छता है। हम गाँव को साफ-सुथरा रखेंगे। खुले में शौच नहीं जायेंगे तो हमारी समस्याएँ खुद ब खुद समाप्त हो जायेंगी। सहमति-असहमति के बीच श्री पालीवाल ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत गाँव में शौचालयों का निर्माण करवाया। हर घर की मॉनीटरिंग उन्होंने स्वयं की। श्री पालीवाल अल सुबह टार्च लेकर अकेले ही निगरानी करने निकल पड़ते। यानि निगरानी समिति का कार्य वे स्वयं करते थे। उन्होंने बताया कि गाँव के आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षकों, तथा बच्चों ने इस कार्य में उन्हें भरपूर सहयोग दिया। सचिव श्री विनोद ठाकुर तथा रोज़गार सहायक श्रीमती प्रीति नागेश ने पूरी लगन के साथ कार्य किया। रिछौड़ा गाँव की सीमेंट कांक्रीट सड़कें और नाली पंच-परमेश्वर के क्रियान्वयन को बयां करती हैं। पूरे गाँव में सीमेंट-कांक्रीट सड़के बन गयी हैं।

कहाँ : जिला- होशंगाबाद, जनपद- पिपरिया ग्राम पंचायत- रिछौड़ा।
समस्या : खुले में शौच की समस्या।
परिणाम : गाँव ओ.डी.एफ. हुआ।

साफ सुथरे इस गाँव में सरपंच की पहल और सीख समझाईश से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर भी कार्य हो रहा है। गाँव के कचरे और अपशिष्ट पदार्थ को मिलाकर नाडेप खाद का निर्माण किया जा रहा है। इस नाडेप खाद का उपयोग गाँव के लोग अपने खेतों में तथा नर्सरी के कार्यों में कर रहे हैं।

इस गाँव में पानी की कमी के बावजूद कोई खुले में शौच को नहीं जाता। रिछौड़ा के सरपंच श्री पालीवाल की कर्मठता को देखकर लोग उनके साथ हैं। दिव्यांग होने के बावजूद जब वे अपने गाँव को ओ.डी.एफ. के साथ पूर्ण स्वच्छ गाँव बनाने में सफल हुए तब यह असाधारण कार्य आस-पास के गाँवों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बन गया। अपनी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का श्री सुशील पालीवाल का सपना आकार ले रहा है।

● **प्रस्तुति : अभिषेक सिंह**

कोदरिया की सरपंच बनीं पैडवूमन

हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है पैडमैन। यह फिल्म देश की बड़ी आबादी के स्वास्थ्य के संवेदनशील मुद्दे पर केन्द्रित है सेनेटरी नेपकिन का उपयोग। फिल्म में पैडमैन ने लम्बी जद्दोजहद कर महिलाओं को सेनेटरी नेपकिन के इस्तेमाल के लिए राजी किया है। महिलाओं के गर्भाशय से संबंधित गंभीर बीमारियों के हमले की

संभावनों को दूर करने का प्रयास है सेनेटरी नेपकिन का उपयोग।

फिल्म के माध्यम से समाज को जगाने का प्रयास, मनोरंजन के साथ प्रेरणा का सकारात्मक संयोग है। विषय गंभीर है, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 70 प्रतिशत महिलाएं अभी भी सेनेटरी नेपकिन का उपयोग नहीं करती हैं। अस्वच्छता के कारण गर्भाशय में गंभीर बीमारियां जन्म ले सकती हैं। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा बना रहता है। इस फिल्म में जन जाग्रति का संदेश भी है और हमारे देश की हकीकत भी। इन्दौर जिले के कोदरिया ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती अनुराधा जोशी ने रियल लाइफ में पैडवूमन का कार्य किया है। श्रीमती जोशी ने अपनी ग्राम पंचायत कोदरिया में सेनेटरी नेपकिन बनाने की यूनिट लगाकर इसका उत्पादन गाँव में ही शुरू कर दिया है।

कैसे की शुरुआत - श्रीमती अनुराधा जोशी ने बताया कि लगभग 6 महीने पहले जब मैंने गाँव में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सर्वे किया तो पाया कि गाँव में 70 से 80 प्रतिशत महिलाएँ सेनेटरी नेपकिन का उपयोग नहीं करतीं, मैं अन्दर तक हिल गयी। महिलाओं द्वारा सेनेटरी नेपकिन के उपयोग न करने और अन्य तरीकों के कारण होने वाले इन्फेक्शन से कई बीमारियाँ हो सकती हैं। यहाँ तक की गर्भाशय का कैंसर भी हो सकता है। तभी मैंने तय कर लिया कि चाहे जो भी हो अब मैं अपने गाँव की आधी आबादी को इस अस्वच्छता से बाहर निकालकर ही रहूंगी।

मैंने महिलाओं से बात की उन्हें इसके बारे में बताया, लगातार चर्चा की और उनका संकोच दूर करने का प्रयास किया।

पंचायत की बैठक में लोगों से सलाह ली। तब मुझे काफी विरोध का सामना करना पड़ा। गाँव वाले बोले- "क्या सरपंच जी आपको यही काम करना है। आपको काम ही करना है तो पापड़, बड़ी, अचार, अगरबत्ती, मोमबत्ती बनाने का काम करवाएं हमारी बहु-बेटियों से।" मैंने सबकी बात सुनी, महिलाओं को समझाया कि यदि गाँव में सेनेटरी नेपकिन बनाने की यूनिट लगा दी गयी तो एक तो गाँव में सबको कम दाम में सेनेटरी नेपकिन मिलेंगे। जो सबके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा, बीमारियों का खतरा नहीं रहेगा। दूसरा आप सबको रोजगार मिलेगा। कारोबार का कारोबार और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक वस्तु का उत्पादन हो जायेगा गाँव में। महिलाएं तैयार हुईं। हमने मिलकर राधा, सीता और गीता नाम से 10-10 महिलाओं के तीन स्व-सहायता समूह बनाए। हमने हेल्दी लिविंग डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ मिलकर गाँव में सेनेटरी नेपकीन बनाने की यूनिट शुरू कर दी। अब समस्या यह थी कि यूनिट कहाँ लगाई जाए। पंचायत के सामुदायिक भवन में विरोध के चलते काम शुरू करना संभव नहीं हो पा रहा था। मैंने भी सोच लिया था, काम तो शुरू करना ही है। इसमें मेरे पति और परिवार के लोगों ने सहयोग किया और मैंने सेनेटरी नेपकिन बनाने का काम अपने घर से शुरू कर दिया।

कहाँ : जिला - इंदौर, ग्राम पंचायत कोदरिया।
समस्या : महिलाओं की बीमारी का बड़ा कारण लगभग 70 प्रतिशत महिलाओं का सेनेटरी नेपकिन का उपयोग न करना।
परिणाम : कोदरिया ग्राम में सेनेटरी नेपकिन निर्माण का ग्रामीण स्टार्टअप शुरू।

परिणाम- कोदरिया की सरपंच के दृढ़ संकल्प, लगन और आत्मविश्वास से सेनेटरी नेपकिन निर्माण की यूनिट लग गयी और उत्पादन शुरू हो गया। इस कार्य से आज गाँव में 500 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। महिलाओं को इससे 5 से 10 हजार रुपये की आय प्राप्त हो रही है।

सरपंच श्रीमती अनुराधा जोशी बताती हैं कि "मेरी पंचायत की महिलाएँ खुश हैं। महिलाओं के स्वस्थ जीवन के लिए बनाये जाने वाले उत्पाद निर्माण के दौरान उनके चेहरे के भाव देखकर मुझे संतोष प्राप्त होता है।" पब्लिक प्राइवेट कम्युनिटी सिस्टम के तहत चलाये जा रहे इस नेपकिन निर्माण कार्य से होने वाले लाभ में स्व-सहायता समूह की सभी महिलाओं की भागीदारी है।

● **प्रस्तुति : हेमलता हुरमाड़े**

पंच-परमेश्वर योजना
नवीन दिशा-निर्देश

अधोसंरचना विकास पर खर्च की जायेगी पिचहत्तर प्रतिशत राशि

पंचायतराज व्यवस्था में पंचायतों के सुचारू कार्य संचालन के लिए जरूरी है सुदृढ़ अधोसंरचना हो और गतिविधियों का उचित क्रियान्वयन किया जाये। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में विकास गतिविधियों के संचालन के लिये दी जाने वाली पंच-परमेश्वर योजना की राशि के उपयोग के लिये नवीन दिशा-निर्देश जारी कर दिए गये हैं। अब इस योजना मद से कम से कम 75 प्रतिशत राशि का उपयोग ग्राम में अधोसंरचना विकास पर तथा 10 प्रतिशत राशि पेयजल व्यवस्था पर खर्च करना अनिवार्य होगा।

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री इकबाल सिंह बैंस द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्राम पंचायतों में विकास गतिविधियों के लिए 14वाँ वित्त मूल अनुदान, 14वाँ वित्त परफॉर्मेंस ग्रांट तथा राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुदान की एकजाई राशि पंच-परमेश्वर योजना का अंग है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा इस मद से कराये जाने वाले कार्यों के संबंध में स्पष्टता लाने के लिये राशि के उपयोग का वितरण प्रतिशत के आधार पर निर्धारित किया गया है। नये निर्देशों के अनुसार अब ग्राम पंचायतों को प्राप्त कुल राशि का 50 प्रतिशत नवीन अधोसंरचना कार्यों जैसे सीमेंट-कांक्रीट रोड और नाली निर्माण पर तथा 25 प्रतिशत तक राशि रपटा-पुलिया निर्माण, बाउण्ड्री-वॉल निर्माण (पंचायत भवन, कब्रिस्तान, श्मशान घाट, आँगनवाड़ी केन्द्र, विद्यालय), कांजी हाउस, पुस्तकालय भवन निर्माण, यात्री प्रतीक्षालय, ग्राम चौपाल, बाजार चबूतरे, सामुदायिक शौचालय, एलईडी लाइट, सार्वजनिक पार्क निर्माण, निःशक्तजनों के लिए बाधारहित वातावरण निर्माण पर व्यय की जाएगी। इसी प्रकार एक वित्त वर्ष में अधिकतम 10 प्रतिशत राशि पेयजल व्यवस्था पर, 7.5 प्रतिशत राशि स्थाई सम्पत्तियों के संधारण और साफ-सफाई कार्य पर तथा शेष 7.5 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायतें कार्यालयीन और प्रशासनिक व्यय के लिये उपयोग कर सकेंगी। इस आदेश में जो कार्य इस राशि से नहीं कराये जा सकते हैं, उन्हें भी स्पष्ट किया गया है। ऐसे कार्यों में हैण्डपम्प खनन एवं संधारण, मोटर पम्प क्रय, पेयजल परिवहन, मुरमीकरण, स्टॉप अथवा चेक-डेम निर्माण, स्वागत द्वार, प्रतिमा स्थापना, सौर ऊर्जा लाइट क्रय, एयर-कंडीशनर, मोबाइल, टैंकर क्रय तथा विज्ञापन आदि शामिल हैं।

नई व्यवस्था के अनुसार इस राशि से आकस्मिक परिस्थिति में 10 हजार रुपये तक अग्रिम आहरण किया जा सकेगा। कराये गये कार्य, पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा। कार्यों की गुणवत्ता का नियंत्रण ग्रामीण यांत्रिक सेवा के अमले द्वारा किया जायेगा।

सफलता की कहानी :
प्रधानमंत्री आवास योजना

मऊखेड़ी के घुमन्तू गड़रिया लोहारों को
आवास से मिला आधार

मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना के अमल में प्रथम स्थान पर है। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विगत दिनों वीडियो कान्फ्रेंस के दौरान नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को बधाई भी दी थी। मुख्यमंत्री श्री चौहान का "संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति बिना आवास के नहीं रहेगा।" पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित यह योजना मुख्यमंत्री के संकल्प को पूर्ण करने में अग्रणी स्थान पर है। सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण सूचकांक के आधार पर आवंटित किये जाने वाले आवास की यह प्रक्रिया अत्यंत व्यवस्थित और पारदर्शी है। इससे हर वर्ग, हर श्रेणी के लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

इस योजना द्वारा रतलाम जिले के मऊखेड़ी में 6 गड़रिया लोहार परिवारों को आवास मिलने से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये गड़रिया लोहार यहाँ-वहाँ घूमकर अपना जीवन-यापन करते थे। स्थाई निवास का इनका न कोई अपना घर था और न ही आधार। जीवन में कोई स्थाई भाव ही नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब इनके पास रहने का अपना मकान है। एक परिवार की वृद्ध महिला 80 वर्षीय पूनी बाई कहती हैं कि हमारी तो पीढ़ियों ने दर-दर भटकते हुए जिन्दगी बिता दी है। अपने घर का सपना तो हम देख तक नहीं सकते थे, पर प्रधानमंत्री आवास योजना ने हमें 'मकान का मालिक' बना दिया है। अब हमारे यहाँ-वहाँ भटकने के दिन बीत गये हैं। हम भी एक जगह अपने घर में चैन का जीवन जियेंगे। इन्हीं लोहार परिवारों के बापूलाल और कमललाल ने बताया कि हमें दो कमरों के साथ रसोई घर और बाथरूम भी मिले हैं, अब कोई परेशानी नहीं है।

उल्लेखनीय है कि मऊखेड़ी गाँव में परम्परागत लुहारी का काम करने वाले 18 परिवार हैं। यह लोहार परिवार लोहे के औजार बनाकर बेचते हैं। छह परिवारों के आवास बन गए हैं। शेष परिवारों को आवास देने की प्रक्रिया चल रही है। इस तरह मऊखेड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना में 44 आवासों का निर्माण हो गया है।

कहाँ : जिला रतलाम, ग्राम मऊखेड़ी
समस्या : घुमन्तू गड़रिया लोहारों के पास अपना कोई आवास नहीं था।
समाधान : प्रधानमंत्री आवास योजना से गड़रिया लोहारों को मिले आवास।

● **प्रस्तुति : विजय देशमुख**

सफलता की कहानी :
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया आशा बाई ने

मध्यप्रदेश में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए विविध प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों के सफल परिणाम दिखने लगे हैं। ऐसा ही अनुकरणीय उदाहरण है। श्रीमती आशा बाई का जिन्होंने अपनी खेती को लाभ का व्यवसाय बनाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संकल्प को मूर्त रूप तो दिया ही है, साथ ही महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी कायम की है।

क्या समस्या थी : छिन्दवाड़ा जिले के सौंसर विकासखण्ड के ग्राम ग्वारीवाडोना की श्रीमती आशा बाई के पास मात्र 1.893 हेक्टेयर खेती की जमीन थी। उनके पास खेती करने के पर्याप्त संसाधन नहीं थे। सिंचाई सुविधा के अभाव में वे रबी में गेहूँ और चने की फसल नहीं ले पाती थीं ऐसे में जीवन-यापन बड़ी मुश्किल से हो पाता था।

कैसे हुआ समाधान : आशा बाई परेशानी में थी, परिस्थितियाँ विपरीत थीं, तभी उन्हें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत बलराम तालाब योजना की जानकारी मिली। यह जानकारी उन्हें कृषि विभाग के सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी से प्राप्त हुई। श्रीमती आशा बाई को उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने लाभ के लिए आवेदन

दिया। बलराम तालाब योजना के तहत उन्हें 80 हजार रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई। आशा बाई ने अपने खेत में ही बलराम तालाब का निर्माण किया। बलराम तालाब बनने से तालाब में पानी रहने के साथ खेत में स्थित कुएं का जल स्तर भी बढ़ गया है।

अब आशा के खेतों में सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी हो गया है। वे अब रबी में गेहूँ और चने की फसल लेने लगी हैं। इस वर्ष तो उन्होंने मूंगफली की भी उपज ली। पर्याप्त सिंचाई सुविधा होने से फसल का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है। आशा के खेत में पर्याप्त सब्जी का उत्पादन भी हो रहा है। यही नहीं उन्होंने तालाब में मछली पालन भी शुरू कर दिया है। इससे उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है।

समाधान : प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बलराम तालाब से मिलने वाले अनुदान से आशा बाई के जीवन में बदलाव आया है। आशा बाई की लगातार मेहनत और लगन से खेती लाभ का व्यवसाय बन गयी है। श्रीमती आशा बाई आसपास के गांव के लोगों के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। वे महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं। जल संरक्षण करने और जल का समुचित उपयोग कर अपनी खेती में बदलाव लाने के इस अनूठे कार्य को देखने आस-पास के गाँव के किसान आते हैं। बड़ी बात यह है कि आने वाले किसान भाई तालाब और फसल को देखकर जल संरक्षण का संकल्प लेकर ही जाते हैं।

कहाँ : जिला छिंदवाड़ा, विकासखण्ड सौंसर, ग्राम-ग्वारीवाडोना।
समस्या : सिंचाई सुविधा का अभाव, कृषि उत्पादकता में कमी।
समाधान : प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से खेती बनी लाभ का व्यवसाय।

● **प्रस्तुति : रुचि शर्मा**

अपर मुख्य सचिव द्वारा
वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिये गए निर्देश

दिनांक 4.1.2018

पंचायत

जिला एवं जनपद पंचायत के भवनों में शौचालय, फर्नीचर आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा इसके लिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर प्रस्ताव तैयार कर राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाए, ताकि स्वीकृति प्रदान करने की कार्यवाही की जा सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

- जोबट, रानापुर, चितरंगी, बाग, त्योंथर, सीधी, शाहपुर, मझगवां, मेंहदवानी तथा सैलाना जनपदों की आवास पूर्णता की समीक्षा की गई। इन सभी में प्रगति धीमी है। समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जनपदवार समीक्षा कर शेष निर्माणाधीन आवास की माह जनवरी, फरवरी तथा मार्च हेतु निर्धारित लक्ष्य अनुसार प्रगति लायें।
- आवास पूर्णता की विगत 4 सप्ताह की समीक्षा की गई। प्रदेश स्तर पर 3000 आवास प्रतिदिन के औसत से विगत 05 दिनों में प्रगति 1000 आवास प्रतिदिन आ गई है। अलीराजपुर, अनुपपूर, अशोकनगर, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, धार, डिण्डौरी, गुना, खरगोन, मन्दसौर, नरसिंहपुर, रायसेन, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी एवं सीधी जिलों की प्रगति विशेष रूप से कम हुई है।
- समस्त जिले आगामी वीसी के पूर्व यह समीक्षा करें कि प्रथम किश्त तथा द्वितीय किश्त के अन्तर को न्यूनतम किया जाये तथा तृतीय किश्त तथा आवास पूर्णता के अन्तर 1.5 लाख को भी न्यूनतम किया जाये। ये ऐसे प्रकरण हैं जिन्हें 31 जनवरी 2018 तक पूर्ण किया जा सकता है।
- वर्ष 2018-19 हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत जिलेवार लक्ष्य 03 जनवरी 2018 को जारी किया जा चुका है। इसी प्रकार विशेष परियोजना के रूप में विशेष पिछड़ी जनजातियों (सहरिया, भारिया एवं बैगा) हेतु 30,000 अतिरिक्त आवासों का लक्ष्य भी संबंधित जिलों को आवंटित किया जा चुका है।

विशेष परियोजना में स्वीकृत आवासों के पंजीयन हेतु आवास सॉफ्ट पोर्टल पर पृथक से व्यवस्था की जा रही है अतः इनका पंजीयन विशेष परियोजना हेतु प्रदाय ऑप्शन से ही किया जाना सुनिश्चित करें।

पुरानी आवास योजनाएं

पुरानी आवास योजनाओं में आवास निर्माण की प्रगति काफी कम है। माह दिसम्बर में मात्र 2750 आवास ही पूर्ण किये गये हैं। स्पष्ट है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायतों द्वारा समीक्षा नहीं की जा रही है। पुरानी आवास योजनाओं के समस्त निर्माणाधीन आवास 31 मार्च 2018 के पूर्व अनिवार्यतः पूर्ण किये जाने हैं। जनपदवार समीक्षा कर आवासपूर्णता में प्रगति लायें।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - वाटरशेड विकास

- 12 दिसम्बर 2017 की स्थिति में 50 प्रतिशत से कम वित्तीय प्रगति वाले जिलों में से बालाघाट, शहडोल, छिन्दवाड़ा, सिंगरौली, सीहोर, देवास एवं शिवपुरी की प्रगति में 31 दिसम्बर, 2017 की स्थिति में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है, जो चिन्ताजनक है। शहडोल, सिंगरौली, देवास एवं बड़वानी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायतों ने अवगत कराया कि वाटरशेड विकास कार्य प्रारंभ करा दिये गये हैं एवं जनवरी, 2018 के लक्ष्य के अनुरूप प्रगति अर्जित की जायेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीहोर ने अवगत कराया कि परियोजना क्रमांक-1 से 4 का कार्य रुका हुआ है क्योंकि इनमें शिकायतों पर हुई जांच के अनुक्रम में कार्यवाही लंबित है। इस प्रकरण की राज्य स्तर पर समीक्षा उपरांत आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये गये। छिन्दवाड़ा जिले में वाटरशेड विकास कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं हो पाने के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अपर मुख्य सचिव के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर कारणों से अवगत करायें।

स्वच्छ भारत मिशन

- मध्यप्रदेश को अक्टूबर 2018 तक खुले में शौच से मुक्त किये जाने का लक्ष्य है। अतः शौचालय निर्माण के अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले जिले अपनी जनपद पंचायतों के लिये मासिक शौचालय निर्माण का लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित करें कि जिले की सभी जनपद पंचायतें अक्टूबर, 2018 से पहले खुले में शौच से मुक्त हो सकें।
- रायसेन जिले में शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। अद्यतन स्थिति में GOI-MIS में प्रदर्शित 7277 शौचालय विहीन आवासों के डाटा शुद्धिकरण की कार्यवाही राज्य कार्यालय के समन्वय से 07 दिवस में पूर्ण करेंगे।
- जिला विदिशा, देवास, बालाघाट,

दतिया, सीधी, अलीजरापुर, रीवा एवं छिंदवाड़ा में शौचालय कवरेज लगभग 90 प्रतिशत हो गया है। उक्त जिले प्रभावी रणनीति तैयार कर शौचालय निर्माण का शेष लक्ष्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर जिले को ODF घोषित किये जाने की कार्यवाही करें।

- जिला बालाघाट, बड़वानी, भोपाल, छतरपुर, सतना एवं श्योपुर द्वारा GOI-MIS में आई.ई.सी. मद अंतर्गत व्यय की प्रविष्टि नहीं की गई है, उक्त जिले आगामी VC से पूर्व प्रविष्टि की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
- GOI-MIS में प्रदर्शित ऐसे 727 ग्राम हैं, जिनमें शौचालय कवरेज 100 प्रतिशत हो गया है। उन ग्रामों को ओडीएफ घोषित किये जाने की GOI-MIS में प्रविष्टि आगामी VC से पूर्व किया जाये।
- एनआरएलएम अंतर्गत 17 जिलों के कम शौचालय कवरेज वाले 70 जनपद पंचायतों में 100 से अधिक शौचालय विहीन आवास की ग्राम पंचायतों में एनआरएलएम के समुदाय स्रोत व्यक्तियों (CRPs) द्वारा आई.ई.सी. की गतिविधियां वातावरण निर्माण एवं ग्रामीणों को प्रेरित करने के अलावा ओडीएफ होने के बाद तीन माह तक फॉलोअप किया जाकर शौचालय कवरेज बढ़ाने का कार्य किया जायेगा। इससे संबंधित कार्य पद्धति की जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य आजीविका मिशन द्वारा दी गई। अवगत कराया तथा अनुरोध किया गया कि यह कार्य स्व-सहायता समूहों एवं उनके संगठनों द्वारा किया जायेगा, मिशन स्टाफ को इस कार्य में नहीं लगाया जायेगा। राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) द्वारा इसके संबंध में सुसंगत निर्देश आगामी VC से पूर्व जारी कराया जायेगा।

महात्मा गांधी नरेगा

- दिनांक 14.12.2017 को वीडियो कांफ्रेंसिंग में जियो मनरेगा तथा स्टॉप वेरीफिकेशन के संबंध में प्रगति में सुधार करने के निर्देश दिये गये थे। निर्देशों के तारतम्य में विगत 20 दिवस में प्रगति की समीक्षा की गई। विगत 20 दिवस में अपेक्षित प्रगति नहीं करने के कारणों पर जिलों से चर्चा की गई। जिलों को निर्देश दिये गये कि कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जाना है, अतः अविलम्ब कार्यवाही करें।
- जियो मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्ण हुए कार्यों की शत-प्रतिशत जियोटैगिंग कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस के अन्दर होना अनिवार्य है। जिले जिनकी प्रगति अत्यन्त कम थी, यथा- मण्डला, सतना, दमोह, सीधी, बालाघाट, रायसेन, गुना, होशंगाबाद, अनूपपुर, बैतूल, सिंगरौली, उमरिया, देवास, जबलपुर, दतिया, डिण्डौरी, अलिराजपुर, हरदा, भिण्ड, शहडोल, विदिशा, खरगोन, छतरपुर, शिवपुरी, शाजापुर, सिवनी, मुरैना, सागर, पन्ना एवं भोपाल को आगामी 15 दिवस में प्रगति में सुधार करने के निर्देश दिये गये।
- **जियो मनरेगा फेस-1** अंतर्गत पूर्ण कार्यों की जियोटैगिंग का कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा बीत चुकी है। जिले जिनकी प्रगति राज्य की औसत प्रगति से कम है एवं उनके द्वारा विगत 20 दिवस में अपेक्षाकृत अत्यन्त कम प्रगति की गई है, उन्हें विशेष रूप से प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिये गये, यथा- सीधी, छतरपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सिंगरौली एवं रीवा।
- जिले, जिनकी कुल प्रगति राज्य औसत से अधिक है, परन्तु विगत 20 दिवस में अत्यन्त कम प्रगति हुई है, यथा- अशोकनगर, भिण्ड, नीमच, अनूपपुर, जबलपुर, सतना, भोपाल, दमोह, हरदा, सागर, रतलाम एवं श्योपुर।
- **जियो मनरेगा फेस-2 :** जियो मनरेगा अंतर्गत माह नवम्बर 2017 से प्रारम्भ कार्यों के 03 चरणों के फोटोग्राफ समय पर प्राप्त करना अनिवार्य है। जिले जहां पर प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के जियोटैगिंग हेतु बड़ी संख्या में कार्य लम्बित हैं, उन्हें तत्काल जियो टैगिंग करने के निर्देश दिये गये। सभी जिलों को यह निर्देश दिये गये कि जियो मनरेगा फेस-2 में कार्यों की जियो टैगिंग में विलम्ब होने से यदि कार्य का भुगतान प्रभावित होता है, तो संबंधित जनपद पंचायत की जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी। जिले जहां पर प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के जियो टैगिंग हेतु बड़ी संख्या में कार्य लम्बित है, यथा- बालाघाट, अलिराजपुर, बैतूल, धार, कटनी, भिण्ड, देवास, अनूपपुर, सीहोर, खण्डवा, रीवा, सागर डिण्डौरी, खरगोन, मण्डला एवं विदिशा।
- **स्टाफ वेरीफिकेशन :** आयुक्त, मनरेगा, म.प्र. पृथक से VC लेवें, जिसमें संबंधित अधिकारियों की जानकारी नरेगा साफ्ट में update कराई जाए।
- **कैटल शेड :** नवीन कैटल शेड का निर्माण आगामी आदेश तक नहीं किया जाये, जो कार्य पूर्व में लिये जा चुके हैं, इस हेतु विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं।
- **कपिलधारा :** कपिलधारा उपयोजना अंतर्गत वर्तमान में 2.5 एकड़ तथा भूमिधारी पात्र किसानों को लाभान्वित किया जाता है। 05 एकड़ तक के किसानों को लाभांवित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कपिलधारा योजना के निर्देशों में लघु तालाब निर्माण के कार्यों को वैकल्पिक करने के सुझाव प्राप्त हुए।
- **वेतन कटोत्रा :** वेतन से विभिन्न प्रकार के टैक्स जैसे- इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ईपीएफ आदि के संबंध में निर्देश जिलों को जारी किये गये हैं। इस संबंध में जिला एवं जनपद पंचायत के एकल खाते को पंचायत पोर्टल पर आगामी 03 दिवस में अद्यतन कर फ्रीज करने की कार्यवाही पूर्ण की जाए।

चौदहवें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों को अनुदान (परफॉर्मेंस ग्रांट) के वितरण हेतु दिशा-निर्देश

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
अधिसूचना

क्रमांक एफ-/22/पं.-/2018/20 **भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2018**

मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 882/1092/2016/22/पं.-1 भोपाल दिनांक 10/11 अगस्त 2016 को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाले निष्पादन अनुदान (परफॉर्मेंस ग्रांट) के वितरण हेतु निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है :

2. भूमिका- 14वें वित्त आयोग की अवधि 2015-16 से 2019-20 तक (पांच वर्ष) है। 14वें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से मूल अनुदान तथा वर्ष 2016-17 से कार्य निष्पादन अनुदान ग्राम पंचायतों को देने का प्रावधान किया गया है। आयोग के प्रतिवेदन के अनुच्छेद संख्या 9.70 के अनुसार ग्राम पंचायतों को अनुदान का 90% अनुदान मूल अनुदान एवं 10 प्रतिशत अनुदान कार्य निष्पादन के रूप में प्राप्त होगा। मध्यप्रदेश को मिलने वाले परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि आगामी वर्षों के लिये निम्नानुसार होगी :-

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
परफॉर्मेंस ग्रांट	-	265.84	300.83	341.63	447.34

3. 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के अंतर्गत मूल अनुदान का वितरण किया जा चुका है। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग अंतर्गत कार्य निष्पादन अनुदान वितरण करने के लिये भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय के पत्र क्रमांक एन-11011/4/2017-एफडी दिनांक 29 सितम्बर 2017 के द्वारा योजना निर्धारित की गई है तथा राज्य सरकार से पुनरीक्षित योजना वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के लिये अधिसूचित करने की अपेक्षा की गई है। राज्य सरकार तदानुसार कार्य निष्पादन अनुदान वितरण करने के लिये निम्नानुसार शर्तों को पूर्ण करने की अनिवार्यतः होगी :-

क्रम संख्या	**अनिवार्य मापदण्ड**
(i)	कार्य निष्पादन अनुदान की दावा करने वाले ग्राम पंचायतों को लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे, जो कि उस वर्ष जिसके लिए ग्राम पंचायत ने कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, उससे दो वर्ष पूर्व से अधिक समय से संबंधित नहीं होंगे।
(ii)	कार्य निष्पादन अनुदान की पात्रता हेतु ग्राम पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपनी स्वयं की आय के राजस्व (OSR) में वृद्धि करनी होगी, और यह वृद्धि परीक्षित लेखा के माध्यम से परिलक्षित होना चाहिए।
(iii)	कार्य निष्पादन अनुदान वितरण होने वाले वर्ष में ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) का पूर्ण होना एवं प्लानप्लस पोर्टल में उसका अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
(iv)	पंचायती राज मंत्रालय के डैशबोर्ड/वेबसाइट में कार्य निष्पादन अनुदान हेतु दावा किये जाने वाले वर्ष के पूर्व का क्षेत्रकवार (सेक्टरवार) चौदहवें वित्त आयोग व्यय का प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा।

4. उपरोक्त चारों शर्तों का पालन करने वाली ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन निम्नानुसार अंकीय पद्धति (Scoring System) के आधार पर किया जावेगा :-

क्र.	अर्हता (वित्तीय वर्ष लिया जावे)	भार (Weightage)
(i)	वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत के स्वयं के स्रोत के राजस्व की मात्रा में वृद्धि	
	0 से अधिक 10 प्रतिशत तक	05
	10 से अधिक 25 प्रतिशत तक	10
	25 से अधिक 50 प्रतिशत तक	15
	50 प्रतिशत से अधिक	20
(ii)	कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में चौदहवें वित्त आयोग अंतर्गत पिछले वर्ष के मूल अनुदान के संदर्भ में स्वयं के स्रोत के राजस्व का प्रतिशत	स्कोर (अंक)
	0 से अधिक 10 प्रतिशत तक	15
	10 से अधिक 20 प्रतिशत तक	20
	20 से अधिक 30 प्रतिशत तक	30
	30 प्रतिशत से अधिक	40
(iii)	कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत की खुले में शौचमुक्त (ODF) होने की स्थिति	
	- हाँ	30
	- नहीं	0
(iv)	कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत में 0 से 2 वर्ष के शिशुओं के पूर्ण टीकाकरण (full immunization) होने की स्थिति में	
	- हां	10
	- नहीं	0
	कुल पूर्णांक (i+ii+iii+iv)	**100**

* ग्राम पंचायत को कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिये अगले साल से ODF अनिवार्य शर्त होगी।

5. ग्राम पंचायतों को कार्य निष्पादन अनुदान वितरण-

ग्राम पंचायतों को कार्य निष्पादन अनुदान का वितरण अंकों के आधार पर अधोलिखित अनुसार किया जावेगा :-

स्कोर (प्राप्तांक)	कार्य निष्पादन अनुदान मात्रा की पात्रता
49 तक	आबंटन का 50 प्रतिशत
50 से 60 तक	आबंटन का 70 प्रतिशत
61 से 70 प्रतिशत	आबंटन का 80 प्रतिशत
71 एवं अधिक	आबंटन का 100 प्रतिशत

6. वित्तीय वर्ष में चौदहवें वित्त आयोग अंतर्गत कार्य निष्पादन अनुदान आवंटन हेतु मूल्यांकन का संक्षिप्त विवरण :-
दावा का वित्तीय वर्ष........

6.1 अनिवार्य शर्तों में पात्रता :

क्र.	मूल्यांकन मानदंड	जिले में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	मानदंड अनुसार पात्रता वाली ग्राम पंचायतों की संख्या
1.	वित्तीय वर्ष..... हेतु लेखा परीक्षण किये खाते प्रस्तुत (संबंधित दावा वर्ष के दो वर्ष पूर्व से ज्यादा पहले के नहीं)		
2.	वित्तीय वर्ष ..... हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) तैयारी पूर्ण (संबंधित दावा वर्ष हेतु)		
3.	पंचायती राज मंत्रालय के डैशबोर्ड/वेबसाइट URL में कार्य निष्पादन अनुदान हेतु दावा किये जाने वाले वर्ष के पूर्व वर्ष का क्षेत्रकवार (सेक्टरवार) चौदहवें वित्त आयोग व्यय का प्रदर्शन वित्तीय वर्ष ..... हेतु (संबंधित दावा वर्ष के पिछले वर्ष का)		
4.	वित्तीय वर्ष..... में स्वयं के स्रोत राजस्व में वृद्धि प्रदर्शित (क्रमांक 1 में दिये लेखा परीक्षण किये खातों अनुसार)		

6.1.1. ग्राम पंचायत की संख्या जो चार अनिवार्य शर्तें पूरी करते हैं :-.....

6.2 कार्य निष्पादन अनुदान हेतु ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन वित्तीय वर्ष :-.....

क्र.	मूल्यांकन मानदंड	मानदंड अनुसार पात्रता वाली ग्राम पंचायतों की संख्या
1.	स्वयं के स्रोत राजस्व में वृद्धि (कंडिका 4.1 की सरल क्रमांक 4 अनुसार) 0 से अधिक 10 प्रतिशत तक 10 से अधिक 25 प्रतिशत तक 25 से अधिक 50 प्रतिशत तक 50 प्रतिशत से अधिक	
	वित्तीय वर्ष..... में लेखा परीक्षण अनुसार (कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में चौदहवें वित्त आयोग अंतर्गत पिछले वर्ष के) मूल अनुदान के संबंध में स्वयं के स्रोत राजस्व में वृद्धि का प्रतिशत 0 से अधिक 10 प्रतिशत तक 10 से अधिक 20 प्रतिशत तक 20 से अधिक 30 प्रतिशत तक 30 से अधिक	
	वित्तीय वर्ष..... में खुले में शौचमुक्त (ओ.डी.एफ.) होने की स्थिति (कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित)	
	वित्तीय वर्ष..... में 0 से 2 वर्ष के शिशुओं के पूर्ण टीकाकरण (full immunization) होने की स्थिति (कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित	

6.3 ग्राम पंचायतों को कार्य निष्पादन अनुदान संवितरण हेतु प्रस्तावित राशि-

क्र.	प्राप्तांक (Score)	ग्राम पंचायतों की संख्या	योजनांतर्गत प्राप्त आवंटन (रु. करोड़ में)	कार्य निष्पादन अनुदान के प्रारंभिक प्रस्तावित आबंटन	अवितरित राशि (4-5)	कुल राशि (रु. करोड़ में) (5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	49 तक					
	50 से 60 तक					
	61 से 70 तक					
	71 एवं अधिक					
	योग					

6.4 ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिये दावे प्रपत्र 01 में तैयार कर जनपद पंचायत को संबंधित वर्ष में 30 जून तक प्रस्तुत किये जायेंगे। ऐसे दावों का जनपद पंचायत स्तर पर मूल्यांकन/परीक्षण कर प्रपत्र 02 में जानकारी तैयार की जाकर जिला पंचायत को संबंधित वर्ष की 15 जुलाई तक तथा जिला पंचायत ऐसे दावों को संकलित कर एवं कंडिका 6, 6.1.1, 6.2 एवं 6.3 में पंचायत राज संचालनालय को 31 जुलाई तक प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त कार्य निष्पादन अनुदान के दावों पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 के कार्य निष्पादन अनुदान के दावा 31 जनवरी 2018 तक किये जा सकेंगे। शेष दो वर्ष के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि तक दावा प्रस्तुत करना होगा।

वित्तीय वर्ष में निर्धारित तिथि पर दावा प्रस्तुत नहीं करने पर या संबंधित ग्राम पंचायत की कार्य निष्पादन की राशि कंडिका-03 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार आवंटन उपरांत अपात्र ग्राम पंचायतों को ना दिये जा पाने वाली राशि के साथ-साथ कोई भी अवितरित (वितरण हेतु शेष) राशि हो, तो वह 50 या अधिक पूर्णांक प्राप्त ग्राम पंचायतों को उनके द्वारा संपूर्ण भार के परिप्रेक्ष्य में प्राप्तांक के औसत भार के आधार पर पुनः वितरित की जायेगी।

उक्त मापदण्डों के अनुसार किए गए ग्राम पंचायतवार आंकलन के आधार पर सभी जिले अपनी प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र पर संचालक, पंचायती राज को प्रस्तुत करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शमीम उद्दीन)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रपत्र-1

ग्राम पंचायत का नाम -

जनगणना 2011 के अनुसार आबादी - क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में)

जनपद पंचायत का नाम - जिला -

दावा का वित्तीय वर्ष -

ग्राम पंचायत का खाता क्रमांक -

बैंक का नाम -

बैंक का IFSC कोड नम्बर -

अनिवार्य शर्तें

क्र.	विवरण	जानकारी (हाँ या नहीं)	संलग्न परिशिष्ट
1.	कार्य अनुदान हेतु लेखा परीक्षण का वर्ष.....। उदाहरण स्वरूप किसी ग्राम पंचायत को वर्ष 2017-18 के कार्य निष्पादन अनुदान के लिये वर्ष 2015-16 का परीक्षित लेखा, वर्ष 2018-19 के लिये वर्ष 2016-17 का परीक्षित लेखा तथा वर्ष 2019-20 के लिये वर्ष 2017-18 का परीक्षित लेखा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।		
2.	लेखा परीक्षण अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में स्वयं के स्रोत से राजस्व में वृद्धि हुई है। उदाहरण स्वरूप वर्ष 2017-18 के कार्य निष्पादन अनुदान क्लेम के लिये वर्ष 2015-16 में स्वयं की आय के राजस्व में वृद्धि वर्ष 2014-15 की तुलना में परीक्षित लेखा से प्रमाणित होना चाहिये।		
3.	कार्य निष्पादन अनुदान हेतु दावा वर्ष में ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) पूर्ण है अथवा नहीं।		
4.	ग्राम पंचायत विकास योजना का प्लान प्लस पोर्टल में अपलोड है अथवा नहीं।		
5.	कार्य निष्पादन अनुदान हेतु दावा किये जाने वाले वर्ष के पूर्व वर्ष का 14वें वित्त आयोग के राशि का सेक्टरवार डैशबार्ड/वेबसाइट में प्रदर्शन हो रहा है अथवा नहीं।		

मूल्यांकन

क्र.	विवरण	जानकारी	स्कोर
6.	वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत के स्वयं के स्रोत के राजस्व की मात्रा में वृद्धि		
7.	लेखा परीक्षण के अनुसार कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में 14वें वित्त आयोग अंतर्गत पिछले वर्ष के मूल अनुदान के संबंध में स्वयं के स्रोत राजस्व में वृद्धि का प्रतिशत।		
8.	कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत की खुले में शौचमुक्त (ओ.डी.एफ.) होने की स्थिति (हां अथवा नहीं)।		
9.	कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत में 0 से 02 वर्ष के शिशुओं के पूर्ण टीकाकरण (immunization) के होने की स्थिति (हाँ अथवा नहीं)।		

यह प्रमाणित किया जाता है उपरोक्त जानकारी सही है एवं ग्राम पंचायत कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के पश्चात अगले वर्ष खुले में शौचमुक्त (ओ.डी.एफ.) रहेगी।

हस्ताक्षर एवं
सील
सचिव

हस्ताक्षर एवं
सील
सरपंच,
ग्राम पंचायत

प्रपत्र-2

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत को कार्य निष्पादन की आवंटित राशि	मूल्यांकन के अनुसार कुल प्राप्तांक	कंडिका 5 अनुसार पात्रतानुसार आवंटित राशि का .....% कार्य निष्पादन अनुदान की राशि	शेष राशि (कॉलम क्रमांक 03-05)

(हस्ताक्षर एवं सील)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी.....ग्राम पंचायतों द्वारा वित्तीय वर्ष.....हेतु प्रस्तुत जानकारी के आधार पर समुचित मूल्यांकन उपरांत प्रेषित किया गया है, जो कि योजना हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक..... (राज्य अधिसूचना) अनुसार है।

(हस्ताक्षर एवं सील)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत

पंच-परमेश्वर योजना के तहत होने वाले कार्यों के लिए नवीन दिशा-निर्देश

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/67 /2018/22/पं-1 **भोपाल, दिनांक 16/02/2018**

प्रति,

1. कलेक्टर, जिला - समस्त, म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत - समस्त, म.प्र.।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत - समस्त, म.प्र.।

विषय : पंच-परमेश्वर योजना अन्तर्गत संपादित किये जाने वाले कार्यों के संबंध में।

पंच-परमेश्वर योजना अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों के संबंध में पूर्व में जारी समस्त दिशा-निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार नवीन दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं :-

ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाली समस्त अनाबद्ध राशियां (14वां वित्त मूल अनुदान, 14वां वित्त परफॉर्मेंस ग्राण्ट तथा राज्य वित्त आयोग अनुदान आदि) पंच-परमेश्वर योजना का भाग होंगी। ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों को प्रमुख रूप से निम्न 04 भागों में वर्गीकृत किया जाकर वार्षिक व्यय सीमा निर्धारित की गई है -

1. नवीन अधोसंरचनात्मक कार्य (वर्ष में प्राप्त कुल राशि का 75 प्रतिशत)
2. पेयजल व्यवस्था संबंधी कार्य (वर्ष में प्राप्त कुल राशि का 10 प्रतिशत)
3. संधारण कार्य (वर्ष में प्राप्त कुल राशि का 7.5 प्रतिशत)
4. कार्यालयीन व्यय (वर्ष में प्राप्त कुल राशि का 7.5 प्रतिशत)

1. नवीन अधोसंरचनात्मक कार्य

1.1 पंच-परमेश्वर योजनांतर्गत एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि में से न्यूनतम 50 प्रतिशत राशि का उपयोग सीमेंट कांक्रीट सड़क एवं पक्की नाली निर्माण कार्यों पर किया जाएगा।

1.2 कुल प्राप्त राशि में से 25 प्रतिशत का उपयोग निम्न कार्यों पर किया जा सकेगा -

(1) रपटा/पुलिया निर्माण (ग्राम पंचायत आबादी क्षेत्र, शासकीय भवनों तथा श्मशान घाट/कब्रिस्तान को आबादी क्षेत्र से जोड़ने वाले रास्तों पर)
(2) बाउंड्रीवॉल निर्माण - पंचायत भवन, कब्रिस्तान, श्मशान घाट, स्कूल, आंगनवाड़ी, शासकीय भवन, सामुदायिक भवनों में।
(3) कॉजी हाउस (2000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में मॉडल प्राक्कलन एवं ड्रांइग अनुसार)
(4) पुस्तकालय भवन।
(5) बाजार चबूतरे/दुकान निर्माण/ग्राम चौपाल के लिए चबूतरा निर्माण।
(6) यात्री प्रतीक्षालय निर्माण (मानक प्राक्कलन एवं ड्राइंग अनुसार)
(7) पेवर ब्लॉक सड़क (शासकीय संपत्ति के भीतर, कवर्ड कैंपस में तथा भवन को जोड़ने हेतु, मानक लागत एवं डिजाइन अनुसार)
(8) सामुदायिक शौचालय/शासकीय भवनों में महिला/पुरुष शौचालय निर्माण।
(9) एलईडी स्ट्रीट लाइट (ऊर्जा विभाग के स्पेसीफिकेशन अनुसार)
(10) सार्वजनिक पार्कों का निर्माण (पार्क उन ग्राम पंचायतों में अनुमत्य होगा जो खुले में शौचमुक्त (ODF) है जहां सी.सी./नाली पूरी बन गई है। पार्क में पेवर ब्लॉक, बैंच फुटपाथ, लाइट तथा पानी की व्यवस्था भी की जाये)
(11) निःशक्तजनों के लिये बाधारहित वातावरण निर्माण- रैंप आदि।

2. पेयजल व्यवस्था संबंधी कार्य

पंच-परमेश्वर योजनांतर्गत एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि में से अधिकतम 10 प्रतिशत राशि का उपयोग पेयजल व्यवस्था हेतु

किया जा सकेगा। पेयजल व्यवस्था में निम्न कार्य लिये जा सकेंगे-

(1) ऐसी नल-जल योजनाएं जो ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं स्थापित की गयी हैं उनका संधारण। (संधारण का प्राक्कलन पी.एच.ई. द्वारा तैयार किया जाएगा)

(2) ऐसी नल-जल योजनाएं जन्हें पी.एच.ई. द्वारा स्थापित कर ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है उनका संधारण। (संधारण का प्रक्कलन पी.एच.ई. द्वारा तैयार किया जाएगा)

(3) पेयजल प्रदाय हेतु पाइप लाइन विस्तार।

(4) पेयजल हेतु उपयोग होने वाली सिंगल फेस मोटर पी.एच.ई. द्वारा उपलब्ध करायी जाती है, किंतु अति आवश्यक होने की स्थिति में यदि संबंधित जनपद पंचायत के अनुविभागीय अधिकारी (पी.एच.ई.) सिंगल फेस मोटर उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण पत्र देते हैं, तो ग्राम पंचायतें पी.एच.ई. द्वारा निर्धारित मानक की सिंगल फेस मोटर क्रय कर सकेंगी।

(5) पेयजल एकत्रित करने हेतु भू-स्तर टंकी निर्माण/रेडीमेड टंकी क्रय।

(6) आरओ वाटर प्लांट स्थापित किये जाने की स्थिति में अंशदान। (ग्राम पंचायत यह कार्य किए जाने के पूर्व प्रस्ताव तैयार कर पंचायत राज संचालनालय को ऑनलाइन प्रेषित करेगी तथा संचालनालय के निर्णय अनुसार कार्य संपादित किया जायेगा)

(7) पशुओं के पानी पीने हेतु संरचना निर्माण।

3. संधारण कार्य

पंच-परमेश्वर योजनांतर्गत एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि में से अधिकतम 7.5 प्रतिशत राशि का उपयोग ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्मित स्थायी परिसंपत्तियों के संधारण एवं साफ-सफाई कार्य हेतु किया जा सकेगा। संधारण अंतर्गत निम्न कार्य लिये जा सकेंगे-

(1) पंचायत भवन मरम्मत तथा अन्य शासकीय भवनों की मरम्मत, पुताई, बिजली फिटिंग

(2) शासकीय/पंचायत के भवनों में शौचालय निर्माण/संधारण

(3) स्टापडेम/चेकडेम मरम्मत, गेट सुधार

(4) ग्राम पंचायत की साफ-सफाई का कार्य

(5) साफ-सफाई से संबंधित सामग्री क्रय

(6) पुराने पेयजल कूपों/बावड़ियों का सुधार

(7) पंचायत के स्वामित्व वाले टैंकर की मरम्मत/टायर-ट्यूब बदलना

(8) घाटों की पुताई एवं साफ-सफाई।

4. कार्यालयीन व्यय

पंच-परमेश्वर योजनांतर्गत एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि में से अधिकतम 7.5 प्रतिशत राशि का उपयोग कार्यालयीन/प्रशासनिक व्यय हेतु किया जा सकेगा। इसके अंतर्गत निम्न व्यय किये जा सकेंगे-

(1) पंचायत भवन में फर्नीचर क्रय एवं फर्नीचर मरम्मत।

(2) टेंट का किराया।

(3) कार्यालयीन स्टेशनरी।

(4) नेट सेंटर का मासिक भुगतान (अधिकतम रुपये 500/- प्रतिमाह तक)

(5) रेलटेल एवं बीएसएनएल ब्रॉडबैंड का मासिक भुगतान।

(6) कम्प्यूटर सामग्री क्रय एवं मरम्मत, बीमा, वार्षिक रखरखाव।

(7) भृत्य/चौकीदार/सफाईकर्मी/पंप ऑपरेटर का वेतन/मानदेय।

(8) बिजली बिल।

(9) राष्ट्रीय पर्व पर व्यय-व्यवस्था एवं पुरस्कार वितरण।

(10) ग्राम पचांयत एवं ग्राम सभाओं की बैठकों में चाय-नाश्ते आदि पर व्यय।

(11) पंचायत कार्यालय का किराये का भवन होने की स्थिति में देय किराया।

(12) समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं खरीदने पर व्यय।

(13) सेट टॉप बॉक्स का व्यय।

(14) इनवर्टर एवं बेटरी का व्यय।

(15) ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाले ट्रेक्टर ट्राली/कचरा गाड़ी/जनरेटर के लिये उपयोग होने वाले डीजल का व्यय।

(16) विभिन्न सार्वजनिक आयोजनों पर होने वाला व्यय।

(17) डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए Point of Sale (POS) मशीन क्रय।

5. गैर अनुमत्य कार्य

पंच-परमेश्वर योजनांतर्गत निम्न कार्य/व्यय नहीं किये जा सकेंगे-

(1) हेण्डपंप खनन एवं उसका संधारण (यह कार्य पी.एच.ई. द्वारा किया जायेगा)
(2) नलकूप खनन (यह कार्य पी.एच.ई. द्वारा किया जायेगा)
(3) मोटर पंप क्रय (पी.एच.ई. द्वारा अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र देने के बाद निर्धारित मानक की सिंगल फेस मोटर क्रय की जा सकेगी)
(4) पेयजल परिवहन पर व्यय
(5) मुरमीकरण/ग्रेवल रोड
(6) स्टापडेम/चेकडेम निर्माण
(7) किसी भी प्रकार के वाहन का क्रय
(8) स्वागत द्वार
(9) प्रतिमा स्थापना
(10) आईएसओ प्रमाणीकरण पर व्यय
(11) सौर ऊर्जा लाइट पर व्यय
(12) एयर कंडीशंन क्रय
(13) मोबाइल
(14) पानी का टैंकर
(15) विज्ञापन पर व्यय (ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री एवं सेवाएं प्राप्त करने हेतु केवल निविदाएं समाचार पत्र में प्रकाशित की जा सकती हैं)

6. आपवादिक प्रावधान

(1) अति-आवश्यक परिस्थितियों में उक्त मदों के लिये निर्धारित प्रतिशत में 5 प्रतिशत तक का पुनर्विनियोजन पोर्टल के माध्यम से मान्य किया जा सकेगा।

(2) आकस्मिक व्यय के लिये ग्राम पंचायत के द्वारा एक वर्ष में केवल एक बार अधिकतम राशि 10,000 अग्रिम आहरण की जा सकेगी। इस राशि का व्यय अंत्येष्टि सहायता प्रदान करने, 500 रुपये से कम के ऐसे भुगतान करने में किया जा सकेगा जो अति आवश्यक तथा तत्काल किये जाने जरूरी हों। इस अग्रिम राशि के उपयोग का विवरण पोर्टल पर दर्ज करना आवश्यक होगा। अंत्येष्टि सहायता अन्तर्गत प्रदाय की गई राशि का समायोजन अनिवार्यतः संबंधित विभाग से राशि प्राप्त की जाकर करना होगा।

(3) उक्त चारों श्रेणी में सम्मिलित कार्यों के अतिरिक्त यदि कोई ग्राम पंचायत किसी कार्य विशेष को संपादित करना चाहती है, तो उसके द्वारा कार्यों की आवश्यकता तथा राशि की उपलब्धता अनुसार निर्णय कर पोर्टल के माध्यम से कार्य करने के संबंध में मार्गदर्शन माँगा जा सकेगा। ग्राम पंचायत के अनुरोध पर संचालक पंचायतराज संचालनालय के द्वारा निर्णय लिया जाकर पोर्टल के माध्यम से ही ग्राम पंचायत को अवगत कराया जाएगा।

7 ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)- किये जाने वाले समस्त कार्य ग्राम पंचायत विकास योजना का भाग होंगे। सभी कार्य डी.पी.आर. अनुसार संपादित किये जायेंगे। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पोर्टल पर उसकी डी.पी.आर. को अनिवार्यतः फ्रीज किया जावेगा।

8 पर्यवेक्षण

(1) प्रत्येक निर्माण कार्य की प्रविष्टि कार्य स्वीकृति के साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर की जाना अनिवार्य होगी।
(2) प्रत्येक निर्माण कार्य के प्रारंभ के समय, प्रत्येक मूल्यांकन के समय तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जियोटेग फोटो पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
(3) सेक्टरवार व्यय की सीमा पोर्टल के माध्यम से निर्धारित की जायेगी।
(4) राशि के दुरुपयोग की स्थिति में क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
(5) किये जाने वाले कार्यों की जानकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा भी रखी जावेगी।

9 गुणवत्ता नियंत्रण

(1) गुणवत्तापूर्ण कार्य संपादित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व क्रियान्वयन एजेंसी तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का होगा।
(2) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उपयंत्री/सहायक यंत्री द्वारा समय-समय पर गुणवत्ता परीक्षण भी किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(इकबाल सिंह बैंस)
अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

जिला और जनपद पंचायतों में अधोसरंचना विकास कार्यों के लिए राशि का निर्धारण

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/73/2018/22/पं-1 **भोपाल, दिनांक 19/02/2018**

प्रति,

1. कलेक्टर, जिला - समस्त, म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत - समस्त, म.प्र.।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत - समस्त, म.प्र.।

विषय : जिला एवं जनपद पंचायतों को अधोसंरचना विकास हेतु उपलब्ध कराई जा रही राशि से लिए जाने वाले कार्यों के निर्धारण के संबंध में।

1. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 61/अमुस/पंग्राविवि/2017 दिनांक 11.09.2017 द्वारा निर्वाचित सदस्यों के विकल्प पर किये जाने वाले अधोसंरचना कार्यों के लिये अनुदान राशि निम्नानुसार निर्धारित की गयी है :-

(1) जिला पंचायत के लिए राशि का वितरण

अ. जिला पंचायत के अध्यक्ष के विकल्प पर राशि रुपये 25.00 लाख
ब. जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विकल्प पर राशि रुपये 15.00 लाख
स. जिला पंचायत के अन्य प्रत्येक सदस्य के विकल्प पर राशि रुपये 10.00 लाख

(2) जनपद पंचायत के लिए राशि का वितरण

अ. जनपद पंचायत के अध्यक्ष के लिए विकल्प पर राशि रुपये 12.00 लाख
ब. जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के विकल्प पर राशि रुपये 8.00 लाख
स. जनपद पंचायत के अन्य प्रत्येक सदस्य के विकल्प पर राशि रुपये 04.00 लाख

2. **राशि उपयोग हेतु क्षेत्र निर्धारण-** विभाग के पत्र क्रमांक 5050/2017/22/पं.-1 दिनांक 28.04.2017 अनुसार जिला एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष तथा सदस्यों के विकल्प पर स्वीकृत किए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा -
   1. जिला पंचायत के अध्यक्ष के विकल्प पर लिये जाने वाले कार्यों के लिए कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिला रहेगा।
   2. जनपद पंचायत के अध्यक्ष के विकल्प के कार्यों के लिए कार्यक्षेत्र संपूर्ण जनपद पंचायत क्षेत्र रहेगा।
   3. जिला/जनपद पंचायत के शेष सभी निर्वाचित सदस्यों के विकल्प पर लिए जाने वाले कार्यों के लिए कार्यक्षेत्र उनके निर्वाचित क्षेत्र की सीमा रहेगी। अर्थात् संबंधित सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के बाहर उनके विकल्प पर आवंटित धनराशि से अधोसंरचना कार्य स्वीकृत नहीं किए जा सकेंगे।

3. **राशि से लिए जाने वाले कार्य-विभाग के पत्र क्रमांक एफ-2-2-2015/22/पं.-1 दिनांक 09.08.2016 तथा पत्र क्रमांक 15/एसीएस/2017/22 दिनांक 06.05.2017 को अधिक्रमित करते हुए निर्वाचित सदस्यों के विकल्प पर लिए जाने वाले कार्य, यह परिपत्र जारी होने की तिथि से निम्नानुसार होंगे -**
   - 3.1 **अनुमत्य कार्य-** जारी राशि से निम्न कार्य कराये जा सकेंगे -
   - 3.1.1 सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण/पक्की नाली निर्माण।
   - 3.1.2 रपटा/पुलिया निर्माण।
   - 3.1.3 शासकीय भवनों में बाउंड्रीवॉल निर्माण।

3.1.4 विभिन्न शासकीय भवनों का निर्माण, जैसे सामुदायिक भवन, शाला भवन, आंगनवाड़ी भवन, स्वास्थ्य केन्द्र भवन, शासकीय भवनों में अतिरिक्त कक्ष, विश्राम कक्ष आदि।

3.1.5 यात्री प्रतीक्षालय निर्माण।

3.1.6 श्मशान शेड निर्माण/कब्रिस्तान की बाउंड्रीवॉल निर्माण।

3.1.7 ग्राम चौपाल/सार्वजनिक चबूतरा/रंगमंच निर्माण।

3.1.8 शासकीय संपत्ति के भीतर कवर्ड कैम्पस में तथा भवन को जोड़ने हेतु पेवर ब्लॉक सड़क निर्माण (मानक लागत एवं डिजाइन अनुसार)

3.1.9 एलईडी स्ट्रीट लाइट (ऊर्जा विभाग के स्पेसीफिकेशन अनुसार)

3.1.10 सार्वजनिक पार्कों का निर्माण।

3.1.11 सामुदायिक शौचालय निर्माण/शासकीय भवनों में शौचालय निर्माण।

3.1.12 स्पॉट सोर्स आधारित नलजल योजना।

3.1.13 पेयजल एकत्रित करने हेतु भू-स्तर टंकी निर्माण/क्रय।

3.1.14 आरओ वाटर प्लांट स्थापना।

3.2 गैर अनुमत्य कार्य- जारी राशि से निम्न कार्य नहीं कराये जा सकेंगे -

3.2.1 पेयजल परिवहन पर व्यय

3.2.2 मुरमीकरण/ग्रेवल रोड

3.2.3 स्टापडेम/चेकडेम निर्माण

3.2.4 स्वागत द्वार

3.2.5 सौर ऊर्जा लाइट पर व्यय

3.2.6 पानी का टैंकर क्रय

3.3 प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति- प्रत्येक कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की जायेगी।

3.4 क्रियान्वयन एजेंसी- समस्त किये जाने वाले कार्यों की एजेंसी संबंधित ग्राम पंचायत होगी। सदस्य की सहमति से कार्य संबंधित विभाग के माध्यम से भी करवाया जा सकता है।

3.5 पर्यवेक्षण -

3.5.1 प्रत्येक निर्माण कार्य की प्रविष्टि कार्य स्वीकृति के साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर की जाना अनिवार्य होगी।

3.5.2 प्रत्येक निर्माण कार्य के प्रारंभ के समय, प्रत्येक मूल्यांकन के समय तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात्, जियोटेग फोटो पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

3.5.3 राशि के दुरुपयोग की स्थिति में क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

3.5.4 किये जाने वाले कार्यों की जानकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा भी रखी जावेगी।

3.6 गुणवत्ता नियंत्रण -

3.6.1 गुणवत्तापूर्ण कार्य संपादित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व क्रियान्वयन एजेंसी तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का होगा।

3.6.2 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उपयंत्री/सहायक यंत्री द्वारा समय-समय पर गुणवत्ता परीक्षण भी किया जायेगा।

4. जिला एवं जनपद पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों के विकल्प पर अधोसरंचना कार्य लिए जाने हेतु अनुदान राशि एक वित्तीय वर्ष में एक बार ही प्रदान की जायेगी।

5. उपरोक्तानुसार दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा एकजाई कर पंचायत राज संचालनालय को उपलब्ध कराया जायेगा तब ही आगामी वर्ष की राशि प्रदाय करने पर विचार किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(शमीम उद्दीन)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रदेश में भवन विहीन ग्राम पंचायतों में बनेंगे नवीन ग्राम पंचायत भवन

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक/ पं.रा./निर्माण-1/232/2018/ **भोपाल, दिनांक 07/02/2018**

//आदेश//

एतद् द्वारा पंचायत भवन विहीन 1 हजार 46 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण के लिये प्रति भवन राशि रुपये 14.48 लाख के मान से (विभागीय मद एवं मनरेगा अभिसरण से) प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.	जिला	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	लागत राशि रुपये (लाख में)
1.	आगर मालवा	आगर	1. पिपलोनकला, 2. मलवासा	2	28.96
		बड़ोद	1. पिपलिया घाटा, 2. कंकडेल, 3. लाला, 4. लालाखेड़ी, 5. लोटिया	5	72.40
		नलखेड़ा	1. ताखला, 2. चापखेड़ा, 3. रीछी, 4. मनासा	4	57.92
		सुसनेर	1. श्यामपुरा, 2. पायली, 3. मेहतपुर, 4. सालारिया, 5. ननोरा	5	72.40
		योग		**16**	**231.68**
2.	अलीराजपुर	भाबरा	1. गिरधा	1	14.48
		जोबट	1. डेकाकुण्ड	1	14.48
		कट्ठीवाड़ा	1. कोहा	1	14.48
		योग		**3**	**43.44**
3.	बालाघाट	बैहर	1. घुईटोला	1	14.48
		बालाघाट	1. आवलाझरी	1	14.48
		बारासिवनी	1. रामपायली, 2. आलेझरी	2	28.96
		योग		**4**	**57.92**
4.	बड़वानी	निवाली	1. खड़कीवन	1	14.48
		पानसेमल	1. करणपुरा, 2. टेमला, 3. राखी बुजुर्ग, 4. मलगांव	4	57.92
		पाटी	1. रोसर	1	14.48
		राजपुर	1. बकवाड़ी, 2. दानोद	2	28.96
		सेंधवा	1. बनिहार, 2. खुटवाड़ी, 3. पांजरिया चा, 4. बढ़ीयापानी	4	57.92
		ठीकरी	1. चकेरी, 2. कुआं	2	28.96
		योग		**14**	**202.72**
5.	बैतूल	आठनेर	1. मोरुढाना, 2. टेमुरनी, 3. इनखेड़ा, 4. खेरवड़ा, 5. कोईलारी, 6. धमोरी	6	86.88
		भैंसदेही	1. चिचोलीढाना, 2. देडपानी, 3. झालर, 4. पिपलनाकला, 5. कुकरु	5	72.40
		भीमपुर	1. गुरवा, 2. कवरा	2	28.96
		चिचोली	1. कटकुही	1	14.48

क्र.	जिला	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	लागत राशि रुपये (लाख में)
		घोड़ाडोंगरी	1. शोभापुर	1	14.48
		मुलताई	1. दहुआ	1	14.48
		प्रभातपट्टन	1. शिरडी, 2. नानकुंड, 3. काजली, 4. हिवरखेड़ा, 5. वांडली, 6. मंगौनाखुर्द, 7. घाटबिरोली, 8. खंबार, 9. अमरावतीघाट, 10. विरुलबाजार	10	144.80
		शाहपुर	1. सेहरा, 2. गुवाडी, 3. पथाई, 4. सीतलझिरि, 5. धनवार, 6. टिमरनी, 7. मूडा	7	101.36
		योग		**33**	**477.84**
6.	भिण्ड	अटेर	1. महापुरा, 2. देहरा, 3. घिनौची, 4. बलारपुरा, 5. कछपुरा, 6. नरीपुरा, 7. गजना, 8. मधैयापुरा, 9. मटघाना, 10. विजौरा, 11. क्यारीपुरा, 12. तरसोखर, 13. जनौरा	13	188.24
		भिण्ड	1. लहरौली, 2. कनावर, 3. सपाड़, 4. हारकीजमेह, 5. मड़नई, 6. पुलावली, 7. दीनपुरा	7	101.36
		गोहद	1. किटी, 2. घमूरी, 3. बनीपुरा, 4. डांग छैकुरी, 5. मदनपुरा	5	72.40
		लहार	1. फरदुआ, 2. ररी शिकारपुरा, 3. बिजपुर, 4. छान, 5. हीरापुरा, 6. राउली उबारी	6	86.88
		मेहगांव	1. खोकीपुरा, 2. हसनपुरा, 3. सिमार, 4. कैरोरा, 5. सायपुरा, 6. लहरा, 7. डगर, 8. सेमरा, 9. पर्रावन, 10. रवियापुरा, 11. जैतपुरा, 12. खेरियाथापक, 13. मौरोली, 14. डिडौना	14	202.72
		योग		**45**	**651.60**
7.	बुरहानपुर	बुरहानपुर	1. तारापाटी, 2. अडगांव, 3. बोदरली, 4. चुलखान 5. चिल्लारा	5	72.40
		खकनार	1. नावथा, 2. डवालीखुर्द, 3. डवालीकला	3	43.44
		योग		**8**	**115.84**
8.	छतरपुर	बारीगढ़	1. सिसोलर, 2. गहरवा, 3. खदेहा, 4. ठकुर्रा, 5. महोईकला	5	72.40
		छतरपुर	1. हतना, 2. सिगोन, 3. पहाडगांव, 4. मोरवा	4	57.92
		लौड़ी	1. बम्हौरी	1	14.48
		नौंगाव	1. गुंडरा, 2. बड़ागांव, 3. बुदरक, 4. दौनी	4	57.92
		राजनगर	1. सांदनी	1	14.48
		योग		**15**	**217.20**
9.	छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा	1. पौनार, 2. खखराचौरई, 3. लछुआ	3	43.44
		बिछुआ	1. खमरा	1	14.48
		छिंदवाड़ा	1. बनगांव	1	14.48
		पाण्डुर्ना	1. जामलापानी	1	14.48
		परासिया	1. खजरीअंतू	1	14.48
		सोंसर	1. मारम	1	14.48
		तामिया	1. करीमरेटेड	1	14.48
		योग		**9**	**130.32**

क्र.	जिला	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	लागत राशि रुपये (लाख में)
10.	दमोह	बटियागढ़	1. अगरा, 2. हराट, 3. लिधौराहराट, 4. सीगोन	4	57.92
		दमोह	1. इमलियालांजी, 3. पिपरियाहथनी, 3. घाटपिपरिया	3	43.44
		हटा	1. सनकुइया, 2. मालवरा	2	28.96
		पटेरा	1. बिलगुवां, 2. पटेरिया, 3. गाटा	3	43.44
		पथरिया	1. सेमरलोधी, 2. नेगवां, 3. बिलानी, 4. सतपुरा, 5. जमुनिया, 6. सुखा	6	86.88
		योग		**18**	**260.64**
11.	दतिया	भांडेर	1. सुनारी, 2. सोफ्ता, 3. सलोन-A, 4. पंडोखर, 5. मेथनापाली, 6. पुरादबोह, 7. बेराछ, 8. बर्चोली, 9. तेलगांव	9	130.32
		दतिया	1. बसवाहा, 2. जनोरी, 3. नयागांव	3	43.44
		सेवड़ा	1. ग्यारा, 2. नहला, 3. देवपुरा, 4. इनगुई, 5. परसौंदागुजर, 6. पिपरौआ, 7. सिरसा, 8. भरौलि, 9. उनचिआ, 10. बगुरदांफोरोज	10	144.80
		योग		**22**	**318.56**
12.	देवास	बागली	1. पोनासा, 2. गौडियाकला, 3. मगरादेश, 4. आगुरली, 5. मिर्जापुर, 6. कमलापुर, 7. दिगोध, 8. मानसिन्हपुरा, 9. महुखेड़ा, 10. बजराई, 11. राताතलाई, 12. कनाड	12	173.76
		देवास	1. बनगार, 2. अकेपुर, 3. बराय	3	43.44
		कन्नौद	1. बामनीखुर्द	1	14.48
		सोनकच्छ	1. जोलाय, 2. डुडलई, 3. खजुरियाकनका, 4. चंदाखेड़ी	4	57.92
		टोंकखुर्द	1. इकलेरा	1	14.48
		योग		**21**	**304.08**
13.	धार	बदनावर	1. खेरवास	1	14.48
		बाघ	1. घटबोरी	1	14.48
		डही	1. बड़दा	1	14.48
		धार	1. बनेडिया	1	14.48
		गंधवानी	1. रेहड़दा, 2. जलोख्या	2	28.96
		कुक्षी	1. गिरवान्या	1	14.48
		मनावर	1. लून्हेरा, 2. करोली	2	28.96
		नालछा	1. बछड़ावदा, 2. सुलावड़, 3. बक्साना, 4. लुन्हेरा, 5. बाछनपुर	5	72.40
		निसरपुर	1. सुलागांव, 2. ढुकणी	2	28.96
		सरदारपुर	1. सलवा, 2. सोगनढ़, 3. जुनापानी, 4. राजपुरा, 5. बोरखेड़ी	5	72.40
		तिरला	1. नीमखेड़ा, 2. चिलुर	2	28.96
		योग		**23**	**333.04**
14.	डिण्डौरी	अमरपुर	1. साम्हर	1	14.48
		समनापुर	1. पड़रिया, 2. कोकोमटा, 3. झांकी माल	3	43.44

क्र.	जिला	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	लागत राशि रुपये (लाख में)
		शाहपुरा	1. बरखेड़ा	1	14.48
		योग		**5**	**72.40**
15.	ग्वालियर	भितरवार	1. गोहिन्दा, 2. केरूआ, 3. राही, 4. बरौआ	4	57.92
		डबरा	1. जनकपुर, 2. धाई, 3. सहोना, 4. सकतपुरा, 5. मेहगांव, 6. बीजकपुर, 7. झडोली, 8. खेडीराईमाल, 9. छीमक	9	130.32
		घाटीगांव	1. छैत	1	14.48
		मुरार	1. बिजौली	1	14.48
		योग		**15**	**217.20**
16.	हरदा	हरदा	1. कुकरावद, 2. बालागांव, 3. नांदरा, 4. देवतालाब, 5. डगावांशंकर, 6. कांकड़दा, 7. बीड, 8. नीमगांव	8	115.84
		खिरकिया	1. चारूवा, 2. आमासेल, 3. सांवरी, 4. मकडाई, 5. डेडगांवमाल,	5	72.40
		टिमरनी	1. मनियाखेड़ी, 2. नौसर, 3. डोलरिया, 4. सिरकम्बा, 5. भवरास, 6. फुलड़ी, 7. रवांग, 8. कचनार	8	115.84
		योग		**21**	**304.08**
17.	होशंगाबाद	बाबई	1. नयाधाई (नवगठित पंचायत), 2. नयाचूरना (नवगठित पंचायत)	2	28.96
		योग		**2**	**28.96**
18.	इंदौर	देपालपुर	1. धन्नड़, 2. छड़ोदा, 3. घाटाबिल्लोद, 4. बनेडिया, 5. रावद, 6. रंगवासा, 7. माचल	7	101.36
		इंदौर	1. गारीपिपल्या, 2. सिंहासा, 3. मोरोदहाट, 4. बडीकलमेर, 5. तिल्लोरबुजुर्ग, 6. बुरानाखेड़ी, 7. गारिया, 8. दूधिया, 9. सेमल्या रायमल, 10. खुड़ेल बुजुर्ग, 11. असरावद बुजुर्ग	11	159.28
		महू	1. कमदपुर, 2. सिमरोल, 3. चोरल, 4. भैंसलाय, 5. घोसीखेड़ा, 6. शेरपुर, 7. टीही, 8. पिगडम्बर, 9. बंजारी, 10. चोरडिया, 11. केलोद, 12. डोंगरगांव, 13. मेंण, 14. सांतेर किशनगंज, 15. जामबुजुर्ग	15	217.20
		सांवेर	1. कदवाली बुजुर्ग, 2. पानोड, 3. चित्तोड़ा, 4. अजनोद, 5. कछालिया, 6. मकोड़िया, 7. पलासिया, 8. अलवासा, 9. कदवालीखुर्द, 10. जामोदी, 11. बुढ़ीबरलाई, 12. पीरकराडिया, 13. बघाना, 14. हतुनिया	14	202.72
		योग		**47**	**680.56**
19.	जबलपुर	जबलपुर	1. सगड़ाझपनी	1	14.48
		पनागर	1. मोहास, 2. रैपुरा, 3. ककरतला, 4. खिरियाकला, 5. सरसवां	5	72.40
		पाटन	1. सरौंद, 2. पड़रिया ब्यौहारी, 3. सिमरिया जरौंद, 4. पौडीकांटी	4	57.92
		शाहपुरा	1. नीची, 2. उमरिया, 3. गंगई, 4. सूखा	4	57.92

क्र.	जिला	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	लागत राशि रुपये (लाख में)
		सीहोरा	1. नुन्जी, 2. जुझारी, 3. कुर्रो, 4. केवलारी	4	57.92
		योग		**18**	**260.64**
20.	झाबुआ	झाबुआ	1. पिटोलबड़ी, 2. सेमलियाबड़ा	2	28.96
		मेघनगर	1. अगासिया	1	14.48
		पेटलावद	1. कुंडवास, 2. कुम्भाखेड़ी, 3. मांडन, 4. कसारबर्डी, 5. जामली, 6. बावड़ी, 7. गंगाखेड़ी, 8. बेंछीखेड़ा, 9. परेवे	9	130.32
		रामा	1. बावड़ी, 2. नवापाड़ा	2	28.96
		रानापुर	1. मोरडुंडिया, 2. चुई, 3. गलती	3	43.44
		थांदला	1. सगवा	1	14.48
		योग		**18**	**260.64**
21.	कटनी	बहोरीबंद	1. चंदनखेड़ा, 2. चारगवां, 3. बरही, 4. मरवाई, 5. अमड़ी, 6. संसारपुर	6	86.88
		रीठी	1. देवरीकला, 2. पथेहरा	2	28.96
		योग		**8**	**115.84**
22.	खण्डवा	बलड़ी	1. लछौरामाल	1	14.48
		छेगांवमाखन	1. सुरगांव जोशी	1	14.48
		खालवा	1. छकारा	1	14.48
		खण्डवा	1. जावर, 2. खेड़ीकिट्टा, 3. सिहादा	3	43.44
		पंधाना	1. घाटखेड़ी, 2. गोराड़िया	2	28.96
		योग		**8**	**115.84**
23.	खरगोन	बड़वाह	1. सीरलाय, 2. रमठान, 3. बलवाड़ा	3	43.44
		भीकनगांव	1. कांझर, 2. गोराड़िया	2	28.96
		गोगांव	1. दयालपुरा, 2. कुण्डिया, 3. मांगरूलखुर्द, 4. कोठाबुजुर्ग, 5. जगन्नाथपुरा, 6. बलगांव	6	86.88
		कसरावद	1. बाड़ी	1	14.48
		खरगोन	1. बगवां, 2. रोमचिचली, 3. रजूर, 4. मांगरूलबुजुर्ग	4	57.92
		झिरनिया	1. घोड़ी बुजुर्ग, 2. मोरवा, 3. रूंदा, 4. बुंदा, 5. पिडीजामली, 6. गोरखपुर, 7. मुंडिया, 8. कोटबेड़ा, 9. कुडी, 10. कोठड़ा	10	144.80
		योग		**26**	**376.48**
24.	मंडला	बिछिया	1. कोको, 2. कन्हारीकला, 3. अहमदपुर	3	43.44
		बीजादांडी	1. कटंगी	1	14.48
		घुघरी	1. दुलादर, 2. जुनवानी	2	28.96
		मंडला	1. सुभरिया, 2. मोहगांव चक, 3. गौंझीमाल	3	43.44
		मोहगांव	1. रयगांव	1	14.48
		योग		**10**	**144.80**
25.	मंदसौर	गरोठ	1. ढलमू, 2. बर्रामा, 3. ढाबलामोहन	3	43.44
		सीतामऊ	1. खेजड़िया	1	14.48
		योग		**4**	**57.92**

क्र.	जिला	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	लागत राशि रुपये (लाख में)
26.	मुरैना	जौरा	1. नरहेला, 2. थरा, 3. इमलिया, 4. रानीपुर, 5. मेनबसाई, 6. बरोली	6	86.88
		कैलारस	1. इटौरा, 2. चोकी	2	28.96
		मुरैना	1. जखोना, 2. भैसोडा, 3. भानपुर, 4. सिकरौदा	4	57.92
		पहाड़गढ़	1. कोटरा, 2. बिचपुरी, 3. छिनोनीचंबल, 4. झोंड, 5. खेरली	5	72.40
		पोरसा	1. हमीरपुरा, 2. रुआर, 3. लालपुरा	3	43.44
		योग		**20**	**289.60**
27.	नरसिंहपुर	बाबई चिचोली	1. बैरागढ़	1	14.48
		गोटेगांव	1. खमरिया, 2. बरोदा, 3. कमली, 4. पिपरिया मुशरान, 5. सिलारी	5	72.40
		नरसिंहपुर	1. गरारू, 2. करहैया नर्मदा, 3. बंदरोहा, 4. पिठेहरा, 5. बड़गुवां, 6. घाटपिंडरई, 7. नवलगांव, 8. रातामाटी, 9. खमतरा, 10. सहजपुरा, 11. गडरिया	11	159.28
		योग		**17**	**246.16**
28.	पन्ना	अजयगढ़	1. राजापुर, 2. खोरा, 3. बरौली	3	43.44
		गुन्नौर	1. द्वारी, 2. नचनौरा, 3. बरशोभा, 4. सिंघौरा, 5. बरोंहा	5	72.40
		पन्ना	1. मनौर, 2. रनवाहा, 3. बिरवाही, 4. रैगढ़, 5. झरकुआं, 6. बड़गडीखुर्द, 7. सिलधरा	7	101.36
		पवई	1. बिल्हा, 2. छिर्रहा, 3. बुधेड़ा	3	43.33
		शाहनगर	1. सटवा, 2. डोहली, 3. महगवां बारहों	3	43.44
		योग		**21**	**304.08**
29.	रायसेन	बाड़ी	1. समनापुर जागीर, 2. दिमाड़ा, 3. नॉनपोन, 4. गेहलपुर, 5. बैगनिया, 6. नायगांव खुर्द, 7. भागदेहि, 8. जामगढ़, 9. खरगौन, 10. उदयगिरी, 11. गोरा मछवाई, 12. अहमदपुर	12	173.76
		बेगमगंज	1. पापड़ा, 2. सुनेटी, 3. लखनपुर, 4. खजुरिया बरमदगड़ी, 5. उमरहारी, 6. खिरेंटी, 7. घोघरी, 8. तुलसीपार	8	115.84
		गैरतगंज	1. गढ़ी, 2. गोरखा, 3. गुंदरई, 4. आमखेड़ा, 5. जुझारपुर, 6. लावाझिर, 7. सर्रा, 8. खुमारी, 9. टेकापार खेड़ी, 10. पटी, 11. हिनोतिया खालसा	11	159.28
		औबेदुल्लागंज	1. अम्बाई, 2. बड़वई, 3. चम्पानेर, 4. राजलवाड़ी, 5. धामधुसन, 6. बमनई	6	86.88
		सांची	1. शाहपुर, 2. पीपलखिरिया, 3. सेहतगंज, 4. नरखेड़ा, 5. बांसखेड़ा, 6. बड़ोदा 25, 7. अल्ली, 8. माखनी, 9. पीपलखेड़ी, 10. ग्यारशाबाद, 11. निसदीखेड़ा, 12. खंडेरा, 13. नांद, 14. चिलवाहा, 15. चिरहोली, 16. खोहा, 17. बड़ोदा 60, 18. निनोद	18	260.64
		सिलवानी	1. बम्हारीवर्धा, 2. देवरी हथनापुर, 3. अमगवां, 4. सेमराखास, शालाबर्रू	5	72.40

क्र.	जिला	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	लागत राशि रुपये (लाख में)
		उदयपुरा	1. कानीवाड़ा, 2. घाना बहेड़िया, 3. केकड़ा, 4. साईंखेड़ा, 5. रिछावर, 6. रम्पुरा, 7. बारहकलां	7	101.36
		योग		**67**	**970.16**
30.	राजगढ़	नरसिंहगढ़	1. बरखेड़ीगड़ी, 2. गीलाखेड़ी	2	28.96
		राजगढ़	1. काचरी, 2. हताईखेड़ा, 3. किलाअमरगढ़, 4. बांकपुरा	4	57.92
		जीरापुर	1. गादिया	1	14.48
		योग		**7**	**101.36**
31.	रतलाम	जावरा	बड़ावड़ी	1	14.48
		योग		**1**	**14.48**
32.	सागर	बंडा	1. चारोधा, 2. लरेठी, 3. गोराखुर्द, 4. मंझला, 5. हनोता सहावन, 6. कलराहो, 7. नीमोन, 8. उल्दन, 9. बमूरा भेड़ा	9	130.32
		बीना	1. बुखारा, 2. कनखर, 3. बामोरा, 4. बरोदिया, 5. पार, 6. ढिमरोली	6	86.88
		जैसीनगर	1. करैया, 2. किल्लाई, 3. सेमाढाना, 4. बकस्वाहा	4	57.92
		खुरई	1. खजरा हरचन्द, 2. तोड़ाकाछी, 3. तेवरा, 4. खिमलासा, 5. निर्तला, 6. बागथरी, 7. सेमरा गनपत	7	101.36
		मालथोन	1. कुंवरपरा, 2. मांदरी, 3. समसपुर, 4. रजवांस, 5. गीधा, 6. ललोई, 7. बम्होरी हुंड्डा, 8. हडुआ, 9. बीजरी, 10. रजौवा, 11. चन्द्रापुर, 12. ढाबरी, 13. पथरिया चिन्ताई, 14. उजनेठ, 15. दुगाहाकला, 16. अटाटीला, 17. बिदवासन, 18. कोलुआ	18	260.64
		राहतगढ़	1. हनौता पारिक्षित, 2. किटुआ, 3. बड़ौरा, 4. बसियागंगे, 5. मरदानपुर, 6. गड़रिया डोंगा, 7. लुहारी, 8. जेरवारा, 9. पेखलोन, 10. बहादुरपुर, 11. गड़ौलीकला	11	159.28
		सागर	1. बड़कुआं, 2. बन्नाद, 3. चितौरा, 4. घाटमपुर, 5. करैया, 6. खैजराबाग, 7. नारायणपुर	7	101.36
		शाहगढ़	1. पापेट, 2. सादागिर, 3. तिंसुआ, 4. बसोना	4	57.92
		योग		**66**	**955.68**
33.	सतना	अमरपाटन	1. लालपुर, 2. भीषमपुर, 3. बछरा	3	43.44
		मैहर	1. करोंदी काप नादन, 2. रोहनिया खुर्द, 3. कन्हवारा, 4. करईया बिजुरिया, 5. बेल्दरा, 6. धनवाही, 7. पहाड़ी, 8. जरियारी, 9. घुनवारा, 10. लुढौती, 11. वंशीपुर, 12. बरहिया, 13, उमरी फिफरी, 14. खेरवाकला	14	202.72
		मझगंवा	1. पटनाकला, 2. पुतरी चुआ, 3. रिमारी, 4. गोडगवां, 5. सेलौरा, 6. खडौरा	6	86.88
		नागोद	1. सेमरवारा, 2. बिलौधा, 3. अमिलिया, 4. रेरुआखुर्द, 5. धौरहरा, 6. कोडर, 7. पनगरा, 8. कोनी	8	115.84
		रामनगर	1. देवदहा, 2. सरिया, 3. बूढ़ा बाउर, नौगवां नंबर 4, 5. जटठाहा टोला, 6. गैलहरी, 7. देवरी, 8. नारायणपुर	8	115.84

क्र.	जिला	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	लागत राशि रुपये (लाख में)
		रामपुर बघेलान	1. रजरवार, 2. जनारदनपुर	2	28.96
		सोहावल	1. मेदनीपुर, 2. कुशियरा, 3. बचबई, 4. रायपुर, 5. हटिया, 6. नयागांव	6	86.88
		उचेहरा	1. पिपरोखर	1	14.48
		योग		**45**	**651.60**
34.	सीहोर	आष्टा	1. उदयपुर, 2. डाबरी	2	28.96
		योग		**2**	**28.96**
35.	सिवनी	बरघाट	1. ताखलाकला, 2. मलारा, 3. पिंडरईकला, 5. बम्होड़ी, 5. धोबीसर्रा, 6. आमागढ़, 7. आमगांव	7	101.36
		धनौरा	1. अमोली	1	14.48
		कुरई	1. मूंडापार, 2. बकोड़ी, 3. पिंडरई, 4. रिड्डी, 5. शाखादेही, 6. घाटकोहका, 7. टूरिया, 8. सतोषा	8	115.84
		लखनादौन	1. बावली	1	14.48
		सिवनी	1. कोहका, 2. सागर, 3. नंदौरा	3	43.44
		योग		**20**	**289.60**
36.	शाजापुर	कालापीपल	1. आंगखेड़ी, 2. तिलावदमैना, 3. अलीसरिया, 4. फरड, 5. रोलाखेड़ी, 6. डाबलाधीर, 7. नांदनी, 8. पिपल्यानग, 9. पंचडेहरिया	9	130.32
		मोमन बड़ोदिया	1. नौलाया, 2. सिमरोलशु, 3. पलसावद, 4. खेड़ावद, 5. बदनावर, 6. तिगंजपुर, 7. गोदना, 8. सलसलाई, 9. बुड़लाय, 10. बेदारनगर, 11. भैसरोद, 12. देहरीपाल, 13. धरतरावदा, 14. बिजना, 15. उकावटा, 16. जलोदाश, 17. सरसि, 18. जसवाड़ा, 19. दोकरगवा	19	275.12
		शाजापुर	1. आक्या, 2. बडनुपर, 3. बाईहेड़ा, 4. देवलाबिहार, 5. पिरुमरोड, 6. कपालिया, 7. खेरखेड़ी, 8. कुकंडी, 9. मुरादपुरालोदिया, 10. नारायणगांव, 11. निपानियाधाकड़, 12. बिरगोद, 13. रामपुरागुर्जर, 14. साजोद, 15. टुकराना, 16. झोकर, 17. बिकलाखेड़ी	17	246.16
		शुजालपुर	1. जामनेर, 2. रायपुर, 3. देवली, 4. बिनाया, 5. कडवाला, 6. चाकरोद, 7. मगरानिया, 8. देहण्डी, 9. उगली, 10. खड़ी, 11. सालिया, 12. भ्याना, 13. लालपुरा, 14. अंवतिपुर बड़ोदिया, 15. सिलोदा	15	217.20
		योग		**60**	**868.80**
37.	श्योपुर	कराहल	1. भेलाभीलट, 2. झरेर, 3. पहेला	3	43.44
		श्योपुर	1. अमलदा, 2. बागल्दा, 3. वर्धाबुजुर्ग, 4. भिलबड़िया, 5. चकबमूलिया, 6. कुड़ायथा, 7. जलालपुरा, 8. मानपुर, 9. रतोधन, 10. सौथवा, 11. बाजरली, 12. लुहाड़,	22	318.56

क्र.	जिला	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	लागत राशि रुपये (लाख में)
			13. नागदा, 14. तेखंड, 15. असिदा, 16. धोधर, 17. इंद्रपुरा, 18. जावड़ेश्वर, 19. जैनि, 20. कानापुर, 21. राडेप, 22. अजापुरा		
		विजयपुर	1. नितनवास, 2. डोनड्रीखुर्द, 3. पिपरवास, 4. कड़वाई, 5. गोबर, 6. धनायचा, 7. बलावनी	7	101.36
		योग		**32**	**463.36**
38.	सीधी	मझौली	1. जोडौरी	1	14.48
		रामपुर नैकिन	1. धनहा, 2. इटहा, कटौली	3	43.44
		सीधी	1. गांधीग्राम, 2. पडखुरी नं. 1, 3. कोचिटा, 4. टीकटकला, 5. कुरवाह, 6. बघवारी	6	86.88
		सिहांवल	1. मौहार, 2. खोंचीपुर, 3. घोपारी, 4. सोनतीर पटेहरा, 5. मुरदाडीह, 6. सेमरी	6	86.88
		योग		**16**	**231.68**
39.	सिंगरौली	बैढ़न	1. अमिलिया, 2. लंघाडोल, 3. बंधौरा,	3	43.44
		चितरंगी	1. नई कहवा, 2. बगदराकला, 3. भौडार, 4. महेड़िया, 5. तामई, 6. खमरिया, 7. नेवारी, 8. फुटरवा, 9. बहेरी	9	130.32
		देवसर	1. मजौना, 2. कारी, 3. कुर्सा, 4. जियावन, 5. पोखरा, 6. गोडबहरा, 7. कुचवाही	7	101.36
		योग		**19**	**275.12**
40.	टीकमगढ़	बल्देवगढ़	1. धर्मपुरा, 2. पथरगुवां, 3. वन्नपुराबुजुर्ग, 4. फुटेर चक्र-1, 5. फुटेर चक्र-2, 6. फरकापठराई, 7. नारायणपुर, 8. लडवारी, 9. सूरजपुर, 10. भिलौनी, 11. चंदेरी, 12. हटा, 13. पिपरा विलारी, 14. देरी, 15. खैरा, 16. टीला, 17. वृष्भानपुरा	17	246.16
		जतारा	1. इकबालपुरा, 2. बम्होरी अब्दा	2	28.96
		निवारी	1. वसोवा, 2. चकरपुर, 3. ढिमरपुरा, 4. गुजर्राकलां, 5. झिंगौरा, 6. जिखनगांव, 7. कठऊपहाड़ी, 8. कुम्हर्राखास, 9. मजरा मकारा, 10. पठाराम, 11. पठारी, 12. पुछीकरगुवां, 13. राजापुरा, 14. रजपुरा, 15. थौना	15	217.20
		पलेरा	1. कुडयाला, 2. लहरबुजुर्ग, 3. गुडा नं. पाली, 4. सैपुरा, 5. आलमपुरा, 6. बेला	6	86.88
		पृथ्वीपुर	1. बछौड़ा, 2. वंजारीपुरा	2	28.96
		योग		**42**	**608.16**
41.	विदिशा	बासौदा	1. भुआरा, 2. मढ़ियासेमरा, 3. पवई, 4. खैरोदा, 5. बूढ़ीबागरोद, 6. आटासेमर, 7. साहबा, 8. ककरावदा, 9. देरखी, 10 आबूपुरकुचौली, 11. बसरिया, 12. दाउदबासौदा, 13. करौंदाखुर्द	13	188.24
		ग्यारसपुर	1. अंडियाकला, 2. बर्रीघाट, 3. गूलरखेड़ी, 4. वनजागीर, 5. इंदरवास, 6. ओलिंजा, 7. मानौरा, 8. आटरीखेजड़ा,	13	188.24

क्र.	जिला	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	लागत राशि रुपये (लाख में)
			9. सियासी, 10. धोखेड़ा, 11. हैदरगढ़, 12. वरवाई, 13. धामनोद		
		कुरवाई	1. मदउखेड़ी, 2. भौरासा, 3. भालमाबोरा, 4. बरखेड़ा पठारी, 5. बढ़ोह, 6. मेहलुआ, 7. फतेहपुर, 8. बरवाई, 9. शहरवासा, 10. लचायरा	10	144.80
		लटेरी	1. मूडरारतनसी, 2. डोडखेड़ा, 3. ईसरवास, 4. महावन, 5. वामनखेड़ी, 6. आनंदपुर, 7. झूकरजोगी	7	101.36
		नटेरन	1 घटवाई, 2. सांगुल, 3. घोघरा, 4. पैरवासा	4	57.92
		सिरोंज	1. हरगनाखेड़ी, 2. गरेंठा, 3. बगरोदा, 4. पगरानी, 5. पथरिया, 6. देहरी जागीर, 7. घुटुआ, 8. खेजड़ाहाली, 9. खेजड़ागोपाल, 10. छापू	10	144.80
		विदिशा	1. सनोटी, 2. सौराई, 3. करैयाहाट	3	43.44
		योग		**60**	**868.80**

2. शर्तें :-

2.1 निर्माण एजेंसी संबंधित ग्राम पंचायत होगी।

2.2 निर्माण प्रमुख अभियंता, ग्रा.यां. सेवा के पत्र क्र. 12701/22/वि.-10/ग्रायासे/2017, भोपाल, दिनांक 23/03/2017 के द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्डों एवं अवयवों के अनुसार करना होगा।

2.3 निर्माण कार्य का मूल्यांकन प्रमुख अभियंता के उपरोक्त पत्र के बिन्दु-2 में दिये गये निर्माण कार्य के चरण के अनुसार मान्य किया जायेगा।

2.4 निर्माण कार्य के लिये ले-आउट तथा मूल्यांकन आदि के लिये किसी अभियंता का प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं होगा एवं न ही किसी तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

2.5 ग्रा.यां. सेवा के उपयंत्री, सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री निर्माण कार्य की गुणवत्ता हेतु तकनीकी पर्यवेक्षण एवं मदद के लिये जिम्मेदार होंगे। ग्राम पंचायत द्वारा चाहे जाने पर ग्रा.यां. सेवा के उपयंत्री एवं सहायक यंत्री के लिए तकनीकी मदद देना बंधनकारी होगा।

2.6 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत यदि आवश्यक समझे तो निर्माण कार्य के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये जिले में उपलब्ध किसी भी सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री अथवा वरिष्ठ अभियंता से निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण करा सकेंगे। इस हेतु प्रति भवन अधिकतम रुपये 15 हजार जिला पंचायत के बैंक खाते से पृथक से व्यय किया जा सकेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिले के लिये ऐसे अभियंताओं की सूची तैयार कर उनके फोन नम्बर सहित संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायें ताकि ग्राम पंचायत तकनीकी सेवाएं ले सके।

2.7 निर्माण कार्य 25 फरवरी 2018 तक प्रारम्भ कर 31 दिसंबर 2018 तक पूर्ण करना अपेक्षित है।

3. स्वीकृत राशि की व्यवस्था निम्नानुसार करने के लिये निर्देशित किया जाता है :-

3.1 लागत का 40 प्रतिशत अर्थात् प्रति भवन राशि रुपये 5.792 लाख मनरेगा के अभिसरण से। मनरेगा के लिये भवन को "भारत निर्माण सेवा केन्द्र" माना जाएगा।

3.2 लागत का 60 प्रतिशत अर्थात् प्रति भवन राशि रुपये 8.688 लाख पंचायत भवन निर्माण मद/विभागीय मद (स्टाम्प शुल्क) से व्यय किया जावेगा। जिसके लिये राशि संचालनालय पंचायत राज से प्रथम किश्त के रूप में राशि रुपये 5.00 लाख प्रति पंचायत भवन के मान से संबंधित ग्राम पंचायत के बैंक खाते में सीधे उपलब्ध कराई जा रही है।

1. ग्राम पंचायत भवन की छत डलने पर एवं प्रमाण पत्र जारी कर संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वितीय किश्त की राशि रुपये 3.688 लाख की मांग मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रस्तुत करेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राशि की मांग को एकजाई कर, द्वितीय किश्त की राशि जारी करने हेतु संचालनालय पंचायत राज को प्रस्तुत करेंगे।

2. यदि पंचायत भवन किसी अन्य योजना में स्वीकृत हो तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। प्रदाय की जाने वाली राशि पंचायत राज संचालनालय को वापिस की जाए एवं इसकी सूचना संचालनालय को तत्काल दी जावे।

3. भवन विहीन ग्राम पंचायतों की जानकारी जिला पंचायतों द्वारा सत्यापित कर संचालनालय पंचायत राज को भेजी गई है। भवन विहीन ग्राम

पंचायत मौके पर भवन विहीन नहीं पाई जाने की दशा में संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

4. किसी भी परिस्थिति में पुनरीक्षित स्वीकृति नहीं दी जावेगी।

(अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)

(शमीम उद्दीन)
संचालक, पंचायत राज संचालनालय (म.प्र.)

ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु होने पर आश्रित एक सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय
आदेश

क्रमांक/एफ/22/पं–1/2017/124 **भोपाल, दिनांक 15/11/2017**

प्रति,

1. **समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।**
2. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषय- ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु की दशा में अनुकंपा नियुक्ति।

म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम-2011 के तहत नियुक्त ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु की दशा में उसके परिवार के जीवन-यापन के उद्देश्य से उस पर आश्रित परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा निम्न शर्तों के अधीन दी जाए :-

(1) मृत ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम-2011 के तहत सीधी भर्ती अथवा आमेलन के तहत होकर नियुक्ति नियमित होना चाहिए।

(2) आवेदक मृतक पर आश्रित सदस्य होना चाहिए। निर्धारित अर्हता रखने वाले सदस्यों में से अनुकंपा नियुक्ति हेतु परस्पर वरीयता क्रम निम्नानुसार होगा :-

(i) मृतक की पत्नी - न्यूनतम आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा।

(ii) मृतक का वयस्क पुत्र अथवा वयस्क अविवाहित पुत्री - ज्येष्ठता के क्रम से।

(iii) मृतक के अविवाहित भाई अथवा बहन - ज्येष्ठता के क्रम से।

(3) अनुकंपा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हता म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम - 2011 अनुसार होगी। इन नियमों के तहत शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार होना आवश्यक है :-

(i) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं

(ii) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित/प्राधिकृत संस्था से कम्प्यूटर ज्ञान का प्रमाण-पत्र।

(4) निम्न परिस्थितियों में मृतक के आश्रित परिवार के किसी भी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी :-

(i) आवेदक द्वारा उपरोक्त कंडिका (3) अनुसार शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करने की दशा में।

(ii) आश्रित परिवार के किसी भी सदस्य के शासकीय अथवा अर्द्ध शासकीय संस्था में नियमित सेवा में अथवा 5 वर्ष से अधिक अवधि से संविदा सेवा में कार्यरत होने की दशा में।

(iii) जिले के भीतर किसी भी ग्राम पंयायत में सचिव का कोई भी पद रिक्त नहीं होने की दशा में।

(5) अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता ग्राम पंचायत सचिव की मृत्यु दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि तक उपलब्ध हो सकेगी। यदि मृतक पर आश्रित परिवार में कोई सदस्य उक्त शैक्षणिक अर्हताधारी न हो तो इस अवधि में उसे आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारित कर पात्रता अर्जित करना होगी। नियुक्ति आदेश पात्रता धारित करने के उपरांत ही जारी किया जायेगा।

(6) अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने के लिये ग्राम पंचायत सचिव के आश्रित परिवार के सदस्य को सादे कागज पर संलग्न प्रपत्र में उसी जिला पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में मृत सचिव कार्यरत था।

(7) अनुकंपा नियुक्ति देने के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सक्षम अधिकारी होगा।

(8) अनुकंपा नियुक्ति प्रथमतः 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जाएगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने की दशा में म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम-2011 के तहत पात्रता अनुसार नियमित वेतनमान दिया जायेगा।

(9) म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम - 2011 की अनुसूची-एक के नियम 4 एवं अनुसूची-एक के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव को नियुक्ति दिनांक से 3 वर्ष के लिये मानदेय रुपये 1600/- नियत और यात्रा भत्ता रुपये 250/- प्रतिमाह देने का प्रावधान है। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए नियमों में संशोधन की प्रत्याशा में रुपये 10,000/- मासिक का मानदेय परिवीक्षा अवधि के लिये दिया जाए।

२. यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत का कर्मचारी होकर जिला संवर्ग का होने के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन का कर्मचारी नहीं है। अतः मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी 3-12/2013/1/3 दि. 29 सितंबर 2014 के अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में लागू नहीं हैं।

३. यह आदेश वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रभावशील होगा।

संलग्न - आवेदन का प्रारूप

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शमीम उद्दीन)
उप सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. एफ/22/पं-1/2017/125 **भोपाल, दिनांक 15.11.2017**

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. संचालक, पंचायत राज संचालनालय।
3. संभागायुक्त, समस्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष/जनपद अध्यक्ष, मध्यप्रदेश
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
6. मैनेजर विभागीय वेबसाइट/पंचायिका।

उप सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रपत्र

सचिव ग्राम पंचायत के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप

1. (क) मृत ग्राम पंचायत सचिव का पूर्ण नाम.....
   (ख) मृत ग्राम पंचायत सचिव की मृत्यु का दिनांक.....
   (ग) कार्यालय का नाम जहाँ मृत्यु पूर्व मृत.....
   ग्राम पंचायत सचिव पदस्थ था,.....
2. (क) आवेदक/आवेदिका का पूर्ण नाम.....
   (ख) मृत ग्राम पंचायत सचिव से संबंध .....
   (ग) स्थायी पता.....
   (घ) वर्तमान पता.....
   (ङ) जन्मतिथि..... अंकों में.....
   शब्दों में.....
   (च) आयु.....
   (छ) धर्म.....
   (ज) जाति (यदि अनुसूचित जाति/जनजाति या.....
   अन्य पिछड़ा वर्ग के हों तो स्पष्ट रूप से दर्शायें).....
   (झ) शैक्षणिक अर्हताओं का विवरण.....
   (ञ) अन्य अर्हताओं का विवरण.....
   (क) मृत ग्राम पंचायत सचिव के आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण एवं आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु सहमति :-

स. क्र.	परिवार के सदस्यों के पूर्ण नाम	आयु	मृत ग्राम पंचायत सचिव के साथ संबंध	यदि सेवारत हो तो उसका विवरण, सेवा है शासकीय/अर्द्ध शासकीय या निजी सेवा	आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु परिवार के सदस्यों की सहमति/ असहमति एवं हस्ताक्षर	टीप
1	2	3	4	5	6	7

घोषणा-पत्र

1. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता-करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी नियुक्ति के पूर्व या बाद में असत्य/गलत पाई जाती है अथवा नियुक्ति के पश्चात अपात्रता पाई जाती है तो मैं पूर्ण रूप ये जानता/जानती हूँ कि मेरी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी और इस संबंध में प्रावधानित विधि एवं नियमों के अधीन मेरे द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिये मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

2. मैं यह भी वचन देता हूँ/देती हूँ कि मैं स्व. श्री.....(मृत ग्राम पंचायत सचिव का नाम) के आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करूंगा/करूंगी, बाद में किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाए कि मेरे द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है तो मेरी अनुकंपा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

स्थान :.....
दिनांक :.....

आवेदक के हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु होने पर दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति में संशोधन

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
//आदेश//

क्रमांक/एफ/22/पं–1/2018/71 **भोपाल, दिनांक 16/02/2018**

प्रति,

1. **कलेक्टर,**
   जिला - समस्त, मध्यप्रदेश।
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जिला पंचायत - समस्त मध्यप्रदेश।

विषय- ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु की दशा में अनुकंपा नियुक्ति।

मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक/एफ/22/पं.-1/124 दिनांक 15.11.2017 में आंशिक संशोधन करते हुये, आदेश की कंडिका 3 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

"3. यह आदेश 01 अप्रैल 2008 से प्रभावशील होगा।"

(शमीम उद्दीन)
उप सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. एफ/22/पं-1/2017/72 **भोपाल, दिनांक 16.02.2018**

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. संचालक, पंचायत राज संचालनालय।
3. संभागायुक्त, समस्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष/जनपद अध्यक्ष, मध्यप्रदेश
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
6. मैनेजर विभागीय वेबसाइट/पंचायिका।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग